Society Reg. No. 201/9-10 dated 23.03.2010

Acharya Shri Mahapragya Institute of Excellence

(Affiliated to MDS University, Ajmer and Approved by Govt. of Rajasthan)
Mahapragya Nagar, Asind (Bhilwara) Ph.01480-221101, 221202, 221103)
Phone +91 9829625844; Website: WWW.asmie.in Email: asmie2012@gmail.com

कार्यालय आदेश

दिनांक : 12.07.2018

माननीय निदेशक महोदय से प्राप्त पत्र दिनांक 31.07.2017 के सन्दर्भ में, आर्थिक रूप से अक्षम व प्रतिभावान विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क में छूट प्रदान करने हेतु "शिक्षण शुल्क छूट समिति" (Fees Rebate Committee) का गठन किया जाता है। जिसके सदस्य निम्न है –

संयोजक – प्राचार्य
सदस्य – श्री इरफ़ान मोहम्मद (सहा. आचार्य वाणिज्य)
सदस्य – श्री अवनींद्र वासुकी व्यास (सहा. आचार्य कंप्यूटर विज्ञान)

12/7/2018
प्राचार्य
PRINCIPAL
A.S.M.I.E..ASIND

स्वीकृत
Irfan 12.07.18

(Asst. Prof. Computer) 12.07.18

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

Acharya Shri Mahapragya Institute of Excellence
(Affiliated to MDS University, Ajmer and Approved by Govt. of Rajasthan)
Mahapragya Nagar, Asind (Bhilwara) Ph. 01480-221101, 221102, 221103
Website : www.asmie.in Email : asmie2012@gmail.com

Dated:- 31.07.2017

The Principal,
Acharya Shri Mahapragya Institute of Excellence
Post-Asind
Distt- Bhilwara
Rajasthan

Dear Sir,

Re: - Authorisation for waiver/exemption of fees from needy students of the college

We are pleased to inform you that Management Committee of the Institute/College has decided to give authority to you for waiver/exemption of entire/partial fees for needy students of the college to ease the burden of students who cannot afford high fees up to Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lacs only) Per Academic Year.

Further, you may refer the case to Management Committee exceeding the above-mentioned limit and Management Committee may consider the request for waiver/exemption of fees beyond the above limit.

Thanking you,

For Acharya Shri Mahapragya Institute of Excellence

R K Jain
Director

Acharya Shri Mahapragya Institute of Excellence
ASIND

राजस्थान सरकार

उच्च शिक्षा विभाग

एफ 23(45)लेखा/आकाशि/मु.उ.शि.छा./2019–20/350 दिनांक– 04-09-2019

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना

1–योजना :–

माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की उच्च माध्यमिक परीक्षा की वरीयता सूची में प्रथम एक लाख ऐसे छात्र/छात्राओं को जिनके परिवार की वार्षिक आय दो लाख पचास हजार रूपये तक है तथा जिन्हें कोई अन्य छात्रवृति अथवा प्रोत्साहन राशि नही मिल रही हैं के लिए 500 रूपये प्रतिमाह (5000 रूपये वार्षिक)एवं प्रतिभावान दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिये बजट घोषणा 2019–20 में 1000/– रूपये प्रतिमाह (10,000/–वार्षिक) छात्रवृति भुगतान किये जाने की घोषणा की गई।

इस योजना का लक्ष्य निम्न को छात्रवृति प्रदान करना है :–

- नवीन एक लाख विद्यार्थी जो पात्रता पूर्ण करते हों।
- ऐसे समस्त विद्यार्थी जिन्हें इस योजना के अन्तर्गत पिछले वर्ष छात्रवृति स्वीकृत की गई थी तथा जो निरन्तर नियमित रूप से उच्च शिक्षा के संस्थानों में अध्ययन कर रहें है।

यह योजना अल्प आय वर्ग के बच्चों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने एवं सहायता प्रदान के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई है।

2–उद्देश्य :–

इस योजना का उद्देश्य अल्प आय वर्ग के प्रतिभावन छात्र/छात्राओं की उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

3–योजना अन्तर्गत लाभ :–

(अ) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में वरीयता सूची में अल्प आय परिवारों के पात्र छात्र/छात्राओं को 500/–रूपये प्रतिमाह जो एक वर्ष में 10 माह से अधिक नहीं होगा अर्थात अधिकतम 5000/–रूपये वार्षिक भुगतान किया जावेगा।

(ब) इस योजना के अन्तर्गत उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत नियमित छात्र/छात्राओं को अधिकतम 5 वर्षो तक ही लाभ प्रदत्त किया जावेगा एवं यदि विद्यार्थी द्वारा 5 वर्ष पूर्व अध्ययन छोड दिया जाता है तो यह लाभ पूर्व वर्षो तक ही मान्य होगा।

(स) दिव्यांग पात्र विद्यार्थियों को 1000/–रूपये प्रतिमाह जो एक वर्ष में 10 माह से अधिक नहीं होगा, अर्थात् अधिकतम 10,000/– रूपये वार्षिक भुगतान किया जावेगा। इस हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से जारी 40प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

प्रदीप कुमार बोरड़
संयुक्त

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

PRINCIPAL
A.S.M.I.E..ASIND

4–पात्रता :–

लाभान्वित पात्र छात्र/छात्राओं के अतिरिक्त इस योजना का लाभ उन छात्र/छात्राओं को देय होगा जो निम्न समस्त शर्तों की पूर्ति करते हों :–

(1) जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से 12वीं की परीक्षा इस वर्ष न्यूनतम 60 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण की हो तथा जिन्होंने बोर्ड की वरीयता सूची में प्रथम एक लाख तक स्थान प्राप्त किये हों।

(2) जिनके माता–पिता या अभिभावक की वार्षिक आय दो लाख पचास हजार रूपये तक हों।

(3) जो राजस्थान के किसी राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त गैर राज. उच्च/तकनीकी संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत हों।

(4) वह राजस्थान का मूल निवासी हों।

(5) उसे भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी अन्य छात्रवृति अथवा समकक्ष योजना के अन्तर्गत लाभ नहीं मिल रहा हों।

(6) विद्यार्थी का राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा खाता हों।

(7) उसका आधार कार्ड बना हुआ हों।

(8) जन आधार कार्ड (भामाशाह कार्ड) बना हुआ हो, विना जन आधार कार्ड (भामाशाह कार्ड) Online आवेदन नहीं किया जा सकेगा।

(9) दिव्यांग विद्यार्थियों को चिकित्सा विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से जारी 40प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।

5–आवेदन की प्रक्रिया :–

(1) मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति हेतु आवेदन फार्म ऑनलाइन भरे जायेंगे।

(2) आवेदन करने का कोई शुल्क नहीं।

(3) पात्रता की समस्त शर्तो को पूर्ण करने वाले विद्यार्थी ही Online आवेदन करें।

6–छात्रवृति स्वीकृति प्रक्रिया :–

संस्था प्रधान Online प्राप्त आवेदन पत्र में संलग्न दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर वांछित तथ्यों को सत्यापित कर अपने जिले के नोडल अधिकारी को निर्धारित तिथि तक Online Forward करेगें।

वित्त विभाग की आई.डी नं.–101903778 दिनांक–20.8.19 द्वारा अनुमोदित है।

<u>नोट</u>– ऑनलाईन आवेदन–पत्र में पाई गई कमी के अभाव में आवेदन निरस्त होता है तो स्वयं विद्यार्थी उत्तदायी होगा।

(प्रदीप कुमार बोरड़)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान,
जयपुर

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

PRINCIPAL
A.S.M.I.E..ASIND

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 23(16)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.योजना/ऑनलाइन/2020-21/2137 दिनांक : 24-12-2020

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2020

राज्य के जिला डूंगरपुर की कालीबाई भील ने शिक्षा के लिये अपना जीवन समर्पित किया। शिक्षा के क्षेत्र में उनके अविस्मरणीय एवं ऐतिहासिक योगदान को श्रंद्धाजलि देते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान दिनांक 29.07.2019 वित्त एवं विनियोग विधेयक के प्रत्युत्तर में यह घोषणा की, कि **"डूंगरपुर में शिक्षा की अलख जगाने के लिये 19 जून, 1947 को अपने प्राणों का बलिदान करने वाली बाला कालीबाई वीर की स्मृति में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना बनाई जावेगी। इसमें मेधावी छात्राओं के लिये चल रही अन्य स्कूटी वितरण योजनाओं को एकीकृत कर अनूसूचित जाति/अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं सहित प्रतिवर्ष लगमग 10,050 छात्राओं को स्कूटी देकर लाभान्वित किया जावेगा"।**

उक्त घोषणा की अनुपालना में वर्तमान में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्कूटी वितरण योजनाओं को सम्मिलित कर एवं अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को शामिल करते हुए एकीकृत स्कूटी वितरण योजना लागू की जावेगी।

(1) **योजना का नाम एवं उद्धेश्य–**

1. राजस्थान राज्य के राजकीय (राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों सहित) एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 12वीं तक नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन करने एवं कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित एवं छात्राओं में प्रतिस्पर्द्धा की भावना विकसित करने तथा उच्च अध्ययन हेतु प्रेरित करने के उद्धेश्य से उक्त योजना राज्य में संचालित की जा रही है।
2. योजना का नाम **"कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना होगा"**|
3. यह योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 (01 अप्रेल, 2020) से प्रभावी होगी अर्थात् वर्ष 2020 में कक्षा 12वीं का घोषित परिणाम के आधार पर स्कूटी प्रदान की जावेगी।
4. **इस योजना का नोडल विभाग, आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग होगा।**

(2) **योजना के अन्तर्गत** देय लाभ– योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ शामिल है–

1. स्कूटी
2. स्कूटी के साथ–
   i.छात्रा को सुपुर्द करने तक का (रजिस्ट्रेशन, छात्रा के नाम हस्तांतरण) परिवहन व्यय
   ii.एक वर्ष का सामान्य बीमा,
   iii.पांच वर्षीय तृतीय पक्षकार बीमा,
   iv.दो लीटर पेट्रोल (वितरण के समय एक बार)
   v.एक हेलमेट

नोट– स्कूटी के रजिस्ट्रेशन की दिनांक से 5 वर्ष से पूर्व स्कूटी का विक्रय/बेचान नहीं किया जा सकेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान
जयपुर

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

PRINCIPAL
A.S.M.I.E..ASIND

Scanned with CamScanner

(3) योजना के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली कुल स्कूटी संख्या का वितरण अनुपात–

1. माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बोर्ड के राजकीय विधालय में अध्ययनरत छात्राओं को 50 प्रतिशत स्कूटी तथा निजी विधालयों की छात्राओं को 25 प्रतिशत स्कूटी स्वीकृत की जावेगी।
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय/निजी विधालयों से उत्तीर्ण छात्राओं के लिए इकजाई रूप से 25 प्रतिशत स्कूटी दी जा सकेगी।
2. समस्त विभाग उक्त योजना में वितरित की जाने वाली कुल स्कूटी की संख्या में विभिन्न संकायों में निम्नानुसार अनुपात रखेंगे–
   i.विज्ञान संकाय में – कुल स्कूटी में से 40 प्रतिशत
   ii.वाणिज्य सकाय में – कुल स्कूटी में से 5 प्रतिशत
   iii.कला संकाय में – कुल स्कूटी में से 55 प्रतिशत
   iv.वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग – कुल स्कूटी में से 7 स्कूटी (संभागीय स्तर पर)
3. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय एवं निजी विद्यालय की छात्राओं का प्रतिशत 25 रखा गया है लेकिन विभाजन की व्यवहारिकता को देखते हुए प्रतिशत कम/अधिक किया जा सकेगा। कोई भी लाभार्थी न्यायालय के माध्यम से स्कूटी का दावा नहीं कर सकेगी।
4. प्रत्येक विभाग द्वारा योजना के तहत चयन पात्र छात्राओं में से जिलेवार वरियता के आधार पर किया जावेगा।

(4) योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता–

1. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 65 प्रतिशत प्राप्तांक से उत्तीर्ण तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 75 प्रतिशत प्राप्तांक से उत्तीर्ण छात्राऐं जो कि राजस्थान के किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत हो।
2. राजकीय (राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों सहित) एवं निजी विद्यालयों में नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 12वीं की परीक्षा संबंधित विभाग द्वारा संचालित योजना में निर्धारित प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर। उक्त निर्धारित प्रतिशत अंको में पूरक परीक्षा में प्राप्तांक शामिल नहीं किये जायेंगे।
3. किसी भी राजस्थान स्थित महाविद्यालय से स्नातक डिग्री यथा (B.A.BED/ B.SC.BED/ B.COM.BED/BE/B.TECH/ B.ARCH / MBBS / IIT / BBA / BBM / BCA / BDS / BHMS / BAMS / LAW/ etc.) में प्रवेश लेकर नियमित छात्रा के तौर पर अध्ययनरत हो।
4. स्नातक डिग्री के प्रवेश में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के वर्ष से एक वर्ष का अन्तराल होने पर योजना का लाभ देय नहीं होगा।
5. किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली छात्राऐं भी इस योजना में लाभान्वित होगी। किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता/छात्रवृति प्राप्त करने वाली छात्राओं को इस योजना से वंचित नही किया जा सकेगा।
6. जिन छात्राओं नें उक्त योजना लागू होने से पूर्व उनकी किसी भी कक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर राज्य सरकार की किसी भी योजना में स्कूटी का लाभ प्राप्त कर लिया है, वे छात्रायें इस योजना में स्कूटी प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी। परन्तु पूर्व में TAD विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग से 10वीं कक्षा के परिणाम के आधार पर किसी बालिका को 10वीं के परिणाम के आधार पर स्कूटी प्राप्त हुई है तो उस छात्रा को 12वीं के परिणाम के आधार पर पात्र होने पर 40,000 रूपयें एक मुश्त राशि प्राप्त होगी।

PRINCIPAL
A.S.M.I.E..ASIND

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

Scanned with CamScanner

7. देवनारायण योजना एवं कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत समाहित योजनाओं में लाभार्थी छात्रा के माता–पिता की आय सीमा 2.5 लाख रूपये सालाना होगी।
8. टीएडी विभाग द्वारा संचालित योजना का लाभ आयकर नहीं देने वाले सभी परिवार की पात्र छात्राओं को दिया जाएगा।
9. **योजनावार परिशिष्ट सं. 1 से 6 अनुरूप स्कूटी वितरण की कार्यवाही की जायेगी। वाणिज्य संकाय में प्रत्येक जिले में कम से कम एक स्कूटी अधिकतम प्राप्तांक छात्रा को प्रदान की जावेगी।**

(5) विभिन्न विभागों के लिये योजना में पात्रता हेतु न्यूनतम प्राप्तांक एवं स्कूटी की संख्याः–

(अ) <u>कक्षा 12 के परिणाम के आधार परः–</u>

1. उच्च शिक्षा विभाग (सभी वर्गो की छात्राओं हेतु) :– परिशिष्ट संख्या–1

- प्रत्येक जिले में 51 स्कूटी एवं राज्य में कुल 1690 स्कूटी।
- पात्रता हेतु वरियता जिलेवार पर संकाय वाइज निर्धारित की जायेगी जो निम्नानुसार है–

District	Science		Arts		Commerce		Total Enrolled	Total Scooty
	Student	Scooty	Student	Scooty	Student	Scooty		
AJMER	1551	20	5183	28	782	3	7516	51
ALWAR	4029	20	10314	28	466	3	14809	51
BANSWARA	1604	20	2341	28	53	3	3998	51
BARAN	553	20	3183	28	45	3	3781	51
BARMER	945	20	4500	28	152	3	5597	51
BHARATPUR	1557	20	7195	28	186	3	8938	51
BHILWARA	1209	20	4093	28	357	3	5659	51
BIKANER	1301	20	6313	28	583	3	8197	51
BUNDI	409	20	2736	28	54	3	3199	51
CHITTORGARH	704	20	2546	28	284	3	3534	51
CHURU	2128	20	7438	28	350	3	9916	51
DAUSA	1422	20	6095	28	29	3	7546	51
DHOLPUR	552	20	1777	28	19	3	2348	51
DUNGARPUR	1406	20	1930	28	73	3	3409	51
HANUMANGARH	2069	20	6109	28	77	3	8255	51
JAIPUR	10581	20	20122	28	2700	3	33403	51
JAISALMER	136	20	685	28	34	3	855	51
JALORE	561	20	3121	28	80	3	3762	51
JHALAWAR	581	20	2884	28	75	3	3540	51
JHUNJHUNU	4967	20	5544	28	467	3	10978	51
JODHPUR	2911	20	7329	28	972	3	11212	51
KARAULI	779	20	3362	28	25	3	4166	51
KOTA	2128	20	4393	28	515	3	7036	51
NAGAUR	4057	20	9549	28	290	3	13896	51
PALI	1170	20	3117	28	257	3	4544	51
PRATAPGARH	365	20	1425	28	65	3	1855	51
RAJSAMAND	676	20	2068	28	204	3	2948	51
SAWAI MADHOPUR	807	20	3397	28	101	3	4305	51
SIKAR	6511	20	8665	28	445	3	15621	51

शिक्षा, राजस्थान

PRINCIPAL
A.S.M.I.E..ASIND

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

Scanned with CamScanner

SIROHI	289	20	1101	28	105	3	1495	51
SRI GANGANAGAR	1227	20	5831	28	167	3	7225	51
TONK	1095	20	4295	28	27	3	5417	51
UDAIPUR	1562	20	3781	28	618	3	5961	51
VARISHTH UPADHYAY DIVISIONAL HEAD QUART								7
Grand Total	61842	660	162422	924	10657	99	234921	1690

- पात्रता हेतु न्युनतम प्राप्तांक निम्नानुसार होगें –
  (अ) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा में 65 प्रतिशत एवं
  (ब) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी/समकक्ष परीक्षा में 75 प्रतिशत।
- प्रत्येक जिले में 01 स्कूटी दिव्यांग छात्रा के लिये क्षैतिज रूप में आरक्षित रहेगी तथा दिव्यांग छात्रा पात्र न होने पर स्कूटी संबंधित संकाय में स्कीम में शामिल मानी जायेगी।
- **सात स्कूटी वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग के लिए संभागीय स्तर पर वरियता के आधार पर दी जायेगी।**
- **निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार (RTE) के अन्तर्गत प्रवेशित छात्राओं को प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ देय होगा।**

2. अनुसूचित जाति वर्ग (SC)की छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) :– परिशिष्ट संख्या–2

- सम्पूर्ण राज्य में 1000 स्कूटी
- पात्रता हेतु वरियता जिला स्तर पर संकाय वाइज निर्धारित की जायेगी जो कि निम्नानुसार है–

DISTRICT	Science		Arts		Commerce		Total Enrol	Total Scoot
	student	Scooty	studen	Scooty	studen	Scooty		
AJMER	346	17	1035	20	91	4	1472	41
ALWAR	571	29	2054	40	49	2	2674	71
BANSWARA	69	3	149	3	1	1	219	7
BARAN	57	3	526	10	6	1	589	14
BARMER	114	5	611	12	3	1	728	18
BHARATPUR	196	10	1266	24	13	1	1475	35
BHILWARA	190	9	750	14	17	1	957	24
BIKANER	172	9	863	17	14	1	1049	26
BUNDI	58	3	378	7	3	1	439	11
CHITTORGARH	114	6	393	8	21	1	528	15
CHURU	244	12	1316	25	11	1	1571	38
DAUSA	191	10	1092	21	5	1	1288	32
DHOLPUR	55	3	154	4	0	1	249	8
DUNGARPUR	69	3	98	2	3	1	170	6
HANUMANGARH	307	15	1690	33	4	1	2001	49
JAIPUR	1336	69	3465	67	242	6	5043	142
JAISALMER	30	2	115	2	0	1	145	5

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान
जयपुर

PRINCIPAL
A.S.M.I.E..ASIND

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

Scanned with CamScanner

JALORE	112	5	621	12	4	1	737	18
JHALAWAR	69	3	341	7	6	1	416	11
JHUNJHUNU	721	37	1218	23	45	2	1984	62
JODHPUR	356	18	1032	20	73	4	1461	42
KARAULI	89	4	589	11	2	1	680	16
KOTA	290	15	962	19	55	2	1307	36
NAGAUR	408	21	1482	29	16	1	1906	51
PALI	194	10	569	11	11	1	774	22
PRATAPGARH	32	2	152	3	5	1	189	6
RAJSAMAND	119	6	309	6	13	1	441	13
SAWAI MADHOPUR	90	4	507	10	5	1	602	15
SIKAR	695	36	1501	29	30	2	2226	67
SIROHI	55	3	231	4	3	1	289	8
SRI GANGANAGAR	258	13	2050	39	23	1	2331	54
TONK	179	9	793	15	6	1	978	25
UDAIPUR	147	8	390	8	54	3	591	19
Grand Total	7933	402	28742	553	834	50	37509	1005

- पात्रता हेतु न्यूनतम प्राप्तांक निम्नानुसार होगें –

(अ) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा में 65 प्रतिशत एवं

(ब) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी/समकक्ष परीक्षा मे 75 प्रतिशत।

- **10 स्कूटी दिव्यांग छात्रा के लिये राज्य स्तर पर वरियता के आधार पर क्षैतिज रूप में आरक्षित रहेगी तथा दिव्यांग छात्रा पात्र न होने पर स्कूटी संबंधित संकाय में स्कीम में शामिल मानी जायेगी।**
- **निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार (RTE) के अन्तर्गत प्रवेशित छात्राओं को प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ देय होगा।**

3. अनुसूचित जनजाति (ST)की छात्राओं हेतु (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग):–परिशिष्ट सं. 3 व 4

- सम्पूर्ण राज्य में 6000 स्कूटी (1000 सैकण्डरी उत्तीर्ण, 5000 सीनियर सैकण्डरी उत्तीर्ण), जिसमें से 50 प्रतिशत स्कूटी अनुसूचित क्षेत्र की मूल निवासी छात्राओं के लिये आरक्षित।
- पात्रता हेतु **वरियता सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र एवं सम्पूर्ण गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिये पृथक–पृथक एवं जिला स्तर पर संकाय वाइज** निर्धारित की जायेगी। **यदि किसी जिले में किसी संकाय में कोई आवेदन प्राप्त नही होता है तो स्कूटी अन्य जिले में स्वीकृत की जावेगी जो कि निम्नानुसार है–**

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान
जयपुर

PRINCIPAL
A.S.M.I.E..ASIND

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

Scanned with CamScanner

TSP क्षेत्र

DISTRICT	Science		Arts		Commerce		Total Enroled	Total Scooty
	Student	Scooty	Student	Scooty	Student	Scooty		
BANSWARA	1058	451	1472	418	1	1	2531	870
CHITTORGARH	20	9	97	28	1	1	118	38
DUNGARPUR	784	334	1154	328	12	12	1950	674
PALI	18	9	122	35	1	1	141	45
PRATAPGARH	81	35	639	181	2	2	722	218
RAJSAMAND	5	4	63	18	2	2	70	24
SIROHI	11	5	123	35	1	1	134	41
UDAIPUR	358	153	1168	332	17	17	1543	502
Grand Total	2335	1000	4838	1375	37	37	7209	2412

नोट–वाणिज्य संकाय में 5 प्रतिशत से 125 स्कूटी होती है किन्तु एनरोलमेन्ट के आधार पर 37 स्कूटी का वितरण दर्शाया गया है।

NON-TSP क्षेत्र

DISTRICT	Science		Arts		Commerce		Total Enroled	Total Scooty
	Student	Scooty	Student	Scooty	Student	Scooty		
AJMER	34	10	88	11	12	9	134	30
ALWAR	307	92	1034	131	15	10	1356	233
BARAN	77	23	492	62	1	1	570	86
BARMER	7	2	45	6	0	1	52	9
BHARATPUR	62	19	215	27	3	2	280	48
BHILWARA	77	23	180	23	0	1	257	47
BIKANER	17	5	14	2	0	1	31	8
BUNDI	87	26	532	67	3	2	622	95
CHURU	10	3	41	5	0	1	51	9
DAUSA	483	144	1906	241	4	3	2393	388
DHOLPUR	36	11	118	15	0	1	154	27
HANUMANGA	15	5	29	4	0	1	44	10
JAIPUR	843	252	2245	284	80	54	3168	590
JAISALMER	2	1	12	2	1	1	15	4
JALORE	9	3	42	5	0	1	51	9
JHALAWAR	40	12	352	44	1	1	393	57
JHUNJHUNU	127	38	146	18	5	4	278	60
JODHPUR	26	8	55	7	4	3	85	18
KARAULI	213	64	954	121	1	1	1168	186
KOTA	242	72	443	56	15	12	700	140
NAGAUR	21	6	25	3	0	1	46	10

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान
जयपुर

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

PRINCIPAL
A.S.M.I.E..ASIND

Scanned with CamScanner

SAWAI MADHOPUR	226	68	1050	133	12	9	1288	210
SIKAR	218	65	284	36	4	3	506	104
SRI GANGANAGAR	8	3	31	4	1	1	40	8
TONK	149	45	536	67	0	1	685	113
Grand Total	3336	1000	10869	1374	162	125	14367	2499

- पात्रता हेतु न्युनतम प्राप्तांक निम्नानुसार होगें –
  - (अ) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से कक्षा 10 को 65 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी परीक्षा में 75 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण करने वाली छात्रा को वरीयता के आधार पर 1000 स्कूटी देय होगी बशर्ते सैकण्डरी उत्तीर्ण करने के पश्चात् हायर सैकण्डरी की नियमित विद्यालय में रहकर अध्ययनरत हो।
  - (ब) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा में 65 प्रतिशत एवं
  - (स) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी / समकक्ष परीक्षा में 75 प्रतिशत
  - (द) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार (RTE) के अन्तर्गत प्रवेशित छात्राओं को प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ देय होगा।

- 25 स्कूटी दिव्यांग छात्रा के लिये क्षेतिज रूप में आरक्षित रहेगी जिसमें 13 स्कूटी TSP क्षेत्र एवं 12 स्कूटी Non TSP क्षैत्र के लिये होगी। TSP एवं Non TSP जिलों को सम्मिलित करते हुए वरियता के आधार पर स्कूटी स्वीकृत की जावेगी। दिव्यांग छात्रा पात्र न होने पर स्कूटी संबंधित संकाय में स्कीम में शामिल मानी जायेगी।
- निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार (RTE) के अन्तर्गत प्रवेशित छात्राओं को प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ देय होगा।

4. सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC)की छात्राओं हेतु (माध्यमिक शिक्षा विभाग)–परिशिष्ट सं. 5

- सम्पूर्ण राज्य में 600 स्कूटी
- पात्रता हेतु वरियता जिला स्तर पर संकाय वाइज निर्धारित की जायेगी जो कि निम्नानुसार है–

DISTRICT	Science		Arts		Commerce		Total Enroled	Total Scooty
	Student	Scooty	Student	Scooty	Student	Scooty		
AJMER	233	5	540	7	196	1	969	13
ALWAR	732	15	1427	19	180	1	2339	35
BANSWARA	157	3	170	2	8	0	335	5
BARAN	108	2	287	4	20	1	415	7
BARMER	146	3	493	6	55	1	694	10

निदेशक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

PRINCIPAL
A.S.M.I.E..ASIND

Scanned with CamScanner

BHARATPUR	453	9	1082	14	115	1	1650	24
BHILWARA	259	5	770	10	85	1	1114	16
BIKANER	311	7	1345	18	298	1	1954	26
BUNDI	62	1	256	3	10	1	328	5
CHITTORGARH	196	4	498	6	87	1	781	11
CHURU	401	8	1475	19	145	1	2021	28
DAUSA	330	7	822	11	11	1	1163	19
DHOLPUR	281	6	639	8	14	1	934	15
DUNGARPUR	156	3	230	3	11	1	397	7
HANUMANGARH	262	6	687	9	27	1	976	16
JAIPUR	2230	47	3904	51	1409	1	7543	99
JAISALMER	46	1	227	3	13	1	286	5
JALORE	99	2	531	7	24	1	654	10
JHALAWAR	102	2	356	5	23	1	481	8
JHUNJHUNU	562	12	706	9	159	1	1427	22
JODHPUR	607	13	1529	20	367	1	2503	34
KARAULI	256	5	442	6	17	1	715	12
KOTA	501	11	613	8	116	1	1230	20
NAGAUR	510	11	1345	17	99	1	1954	29
PALI	197	4	547	7	61	1	805	12
PRATAPGARH	47	1	139	2	9	0	195	3
RAJSAMAND	143	3	482	6	77	1	702	10
SAWAI MADHOPU	268	6	357	6	47	1	672	12
SIKAR	911	19	1237	16	197	1	2345	36
SIROHI	73	2	272	4	24	1	369	7
SRI GANGANAGA	195	4	564	7	62	1	821	12
TONK	158	3	434	6	6	0	598	10
UDAIPUR	458	10	888	11	227	1	1573	22
Grand Total	11450	240	25294	330	4199	30	40943	600

• पात्रता हेतु न्यूनतम प्राप्तांक निम्नानुसार होगें –

(अ) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा में 65 प्रतिशत एवं

निदेशक शिक्षा, राजस्थान

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

PRINCIPAL
A.S.M.I.E..ASIND

Scanned with CamScanner

(ब) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी/समकक्ष परीक्षा में 75 प्रतिशत।

- राज्य में 06 स्कूटी दिव्यांग छात्रा के लिये राज्य स्तरीय क्षैतिज रूप में आरक्षित रहेगी तथा दिव्यांग छात्रा पात्र न होने पर स्कूटी संबंधित संकाय में स्कीम में शामिल मानी जायेगी।
- निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार (RTE) के अन्तर्गत प्रवेशित छात्राओं को प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ देय होगा।

5.अल्प संख्यक वर्ग (Minority)की छात्राओं हेतु (अल्पसंख्यक मामलात विभाग):–परिशिष्ट सं. 6

- सम्पूर्ण राज्य में 750 स्कूटी
- पात्रता हेतु वरियता जिला स्तर पर संकाय वाइज निर्धारित की जायेगी जो कि निम्नानुसार है–

DISTRICT	Science		Arts		Commerce		Total Enroled	Total Scooty
	Student	Scooty	Student	Scooty	Student	Scooty		
AJMER	74	13	233	15	93	1	314	29
ALWAR	54	10	371	24	13	1	424	35
BANSWARA	61	11	70	5	32	1	151	17
BARAN	22	4	192	12	3	1	215	17
BARMER	11	2	57	4	67	2	127	8
BHARATPUR	28	5	200	13	5	1	230	19
BHILWARA	51	9	161	10	83	1	210	20
BIKANER	33	6	96	6	20	1	133	13
BUNDI	24	4	149	10	12	1	178	15
CHITTORGARH	27	5	73	5	49	2	132	12
CHURU	45	8	420	27	13	1	469	36
DAUSA	17	3	67	4	1	1	84	8
DHOLPUR	25	4	61	4	1	1	83	9
DUNGARPUR	57	10	25	2	28	1	108	13
HANUMANGARH	83	15	272	18	7	1	358	34
JAIPUR	147	27	810	52	135	2	1090	81
JAISALMER	5	1	33	2	1	1	39	4
JALORE	11	2	33	2	6	1	48	5
JHALAWAR	33	6	116	7	32	1	154	14
JHUNJHUNU	118	21	422	27	21	1	559	49
JODHPUR	50	9	138	9	31	1	215	19
KARAULI	14	3	77	5	0	1	89	9
KOTA	71	13	273	18	80	2	335	33
NAGAUR	115	21	442	28	39	1	592	50
PALI	28	5	92	6	17	1	124	12

निदेशक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

PRINCIPAL
A.S.M.I.E..ASIND

Scanned with CamScanner

PRATAPGARH	20	4	39	3	20	1	74	8
RAJSAMAND	17	3	28	2	24	1	62	6
SAWAI MADHOPU	61	11	325	21	13	1	392	33
SIKAR	129	23	415	27	21	1	559	51
SIROHI	9	2	19	1	4	1	28	4
SRI GANGANAGAI	83	15	331	21	9	1	419	37
TONK	56	10	231	15	3	1	286	26
UDAIPUR	81	15	109	7	76	2	231	24
Grand Total	1660	300	6380	412	959	38	8512	750

- पात्रता हेतु न्युनतम प्राप्तांक निम्नानुसार होगें –

(अ) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा में 65 प्रतिशत एवं

(ब) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी/ समकक्ष परीक्षा में 75 प्रतिशत।

- **08 स्कूटी दिव्यांग छात्रा के लिये राज्य स्तरीय क्षेतिज रूप में आरक्षित रहेगी तथा दिव्यांग छात्रा पात्र न होने पर स्कूटी संबंधित संकाय में स्कीम में शामिल मानी जायेगी।**
- **निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार (RTE) के अन्तर्गत प्रवेशित छात्राओं को प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ देय होगा।**

स्पष्टीकरणः–

1. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पात्र छात्राऐं नहीं होने पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की छात्रा को लाभान्वित किया जा सकेगा।
2. निजी विद्यालयों में निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करने वाली छात्रायें नही मिलने पर राजकीय विद्यालयों की छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जा सकेगी।
3. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय एवं निजी विद्यालयों की छात्राओं को दी जाने वाली स्कूटियों की संख्या अधिकतम है।
4. यदि सामान्य वरीयता में कोई दिव्यांग छात्रा समायोजित हो जाती है तो उसको दिव्यांग छात्रा के लिए आरक्षित एक स्कूटी के लिए लाभार्थी मान लिया जायेगा।
5. यदि निर्धारित पात्रता अनुसार वरीयता सूची में कोई दिव्यांग छात्रा वरियता में नहीं आती है परन्तु योजना में निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक से अधिक प्राप्तांक है तो उनकी श्रेणी के लिये आरक्षित स्कूटी की संख्या तक उनका चयन किया जायेगा। ऐसी स्थिति में तीनों संकायों की common वरीयता सूची में से उच्चतम प्राप्तांक वाली दिव्यांग छात्राओं का चयन किया जावेगा एवं उतनी ही संख्या में सम्बन्धित संकाय के सम्बन्धित वर्ग में से उतनी ही स्कूटी कम करके समायोजित कर लिया जायेगा ताकि संबंधित वर्ग एवं संकाय में कुल छात्राओं की संख्या निर्धारित संख्या के अनुरूप ही रहे।

[illegible] शिक्षा, राजस्थान

PRINCIPAL
A.S.M.I.E..ASIND

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

Scanned with CamScanner

6. टीएसपी क्षेत्र की निवासी छात्रा नॉन टीएसपी क्षेत्र में अध्ययनरत होने पर वह टीएसपी/नॉनटीएसपी दोनो वर्ग में से किसी भी एक वर्ग में आवेदन कर सकेगी।
7. दिव्यांग छात्राओं को स्कूटी के स्थान पर मांग होने पर **मोटराईज्ड ट्राई–साईकिल** दी जा सकेगी। वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत विशेष योग्यजनों को निदेशालय के पत्रांक एफ 16(1) () वियो/मो.ट्रा.यो./2017–18/13593–626 दिनांक 14.10.2017 के तहत **मोटराईज्ड ट्राई–साईकिल दी जा रही है।**

(6) आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज :–

- सीनियर सैकण्डरी परीक्षा की अंक तालिका।
- राजकीय अथवा निजी विद्यालय में नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 12वीं उर्तीण करने का संबंधित संस्था प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् वर्तमान में अध्ययनरत महाविद्यालय अथवा किसी अन्य उच्च शिक्षण/प्रशिक्षण संस्था एवं पाठ्यक्रम का विवरण मय संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी TSP मूल निवास प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र/आर्थिक पिछड़ा वर्ग प्रमाण–पत्र/विशेष पिछड़ा वर्ग प्रनाण–पत्र (जो कोई भी लागू हो) की स्व–प्रमाणित फोटों प्रति संलग्न करनी होगी।
- आय प्रमाण पत्र (6 माह से पुराना न हो)
- बीपीएल छात्रा हेतु बीपीएल कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि
- जन आधार कार्ड/आधार कार्ड की प्रति
- दिव्यांग छात्रा द्वारा मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणित पत्र की स्वप्रमाणित प्रति

(7) योजना के क्रियान्वयन के संबंध में अन्य प्रावधान :–

1. योजना का **नोडल विभाग आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग** होगा।
2. सम्पूर्ण योजना का कियान्वयन पोर्टल (आईटी बेस्ड मॉनिटरिंग) के माध्यम से किया जायेगा।
3. **Uniform Portal** का विकास आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा कराया जायेगा। माध्यमिक शिक्षा में वर्तमान में विद्यमान विभिन्न योजनाओं, RBSE/CBSE (यथा शाला दर्पण/पीएसपी) पोर्टल्स का अध्ययन कर एवं लाभार्थियों की सूची सीधे ही ऑन लाईन प्राप्त करेगा।
4. सभी विभागों द्वारा योजना के लिये बजट का प्रावधान पूर्व की भांति अपने विभाग के सम्बन्धित बजट मदों में कराया जावेगा।
5. अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग हेतु योजना प्रथम बार लाई गई हैं। अतः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक विभाग द्वारा समुचित तरीके से बजट का प्रावधान कराया जावेगा।
6. आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर इस तरह से विकसित किया जावे कि किसी एक आधार नम्बर/जन आधार नम्बर की एक ही स्वीकृति निकले।
7. नियमों में किसी भी प्रकार के संशोधन/स्पष्टीकरण की कार्यवाही नोडल विभाग द्वारा की जायेगी।
8. नोडल विभाग द्वारा समय–समय पर योजना की समीक्षा एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में योजना के साकारात्मक प्रभाव का आंकलन कर सरकार को तद्नुसार पॉलिसी सुझाव दिया जायेगा।

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

PRINCIPAL
A.S.M.I.E..ASIND

Scanned with CamScanner

9. सभी प्रशासनिक विभाग अपनी विभाग की योजना के सफल सुचारू एवं त्वरित क्रियान्वयन के लिये अपने अधिनस्थ कार्यालयों/अधिकारी को क्रियान्वयन एजेन्सी/विभागीय नोडल अधिकारी नियुक्त कर सकेंगे।
10. प्रशासनिक विभाग (आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयुपर, माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर, अल्पसंख्यक मामलात् विभाग जयपुर) आवेदन प्राप्त करने, उनको ऑनलाईन करने से लेकर दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही करते हुये योजनानुसार वरीयता सूची का निर्धारण कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कॉमन पोर्टल का उपयोग करते हुये (ऑनलाईन) करेंगे तथा निर्धारित स्कूटी संख्या से नोडल विभाग को अवगत करायेंगे जिससे की क्रय की कार्यवाही नोडल विभाग द्वारा की जा सके। योजना से संबंधित सभी सूचनाऐं पब्लिक डोमेन में उपलब्ध रहेगी।
11. यथा संभव परिणाम घोषित होने के तीन माह के अन्दर स्कूटी वितरण की कार्यवाही संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा अपने स्तर पर वितरण की जावेगी।

(8) आवेदन एवं स्वीकृति प्रक्रिया :–

1. पात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। संलग्न आवश्यक दस्तावेजों को साथ में अपलोड़ किया जायेगा।
2. छात्रा एक से अधिक श्रेणी में आवेदन कर सकती है, लेकिन सॉफ्टवेयर इस तरह से विकसित हो कि किसी **एक आधार नम्बर/जन आधार कार्ड नम्बर** की एक ही स्वीकृति निकले।
3. पात्र छात्राओं द्वारा उनकी पात्रता अनुसार संबंधित श्रेणीयों में आवेदन किया जावेगा। संबंधित वर्ग में निर्धारित आवेदन पत्र ऑनलाईन भरकर, निर्धारित तिथि तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। विभाग द्वारा इसके लिए एक कॉमन पोर्टल विकसित किया जायेगा। पोर्टल पर आधार नं0/जन आधार कार्ड नं0 के आधार पर कार्य करेगा। योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन की समुचित मॉनिटरिंग की जावेगी ताकि लाभ लेने में दोहराव नही हो। ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विस्तृत विवरण व दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाईट https://hte.rajasthan.gov.in/ पर देखा जा सकता है।
4. प्रत्येक विभाग योजना के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों एवं दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य कर ऑनलाईन/स्वीकृति जारी कर सकेंगे।
5. **प्राचार्य महाविद्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की आवश्यक जॉच कर प्रत्येक छात्रा का नाम, पिता का नाम, कक्षा, संकाय, एवं अन्य सूचनाओं का मिलान एवं सत्यापित कर अपने जिले के नोडल अधिकारी का ऑनलाईन (Forward) करेंगें। जिला नोडल अधिकारी समस्त आवेदन पत्रों की जांच एवं जिलेवार वरीयता सूची तैयार कर आयुक्तालय को निर्धारित तिथि को ऑनलाईन (Forward) करेंगें।**

(9) योजना क्रियान्वयन की जिला स्तरीय समीक्षा–

जिला स्तर पर **जिला कलक्टर, जिला स्तरीय** शिक्षा निष्पादन समिति के माध्यम से इस योजना की मॉनीटरिंग करेंगे। इस समिति में–

(अ) छात्राओं को ऑनलाईन फॉर्म भरने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कार्ययोजना।
(ब) योजना से सम्बन्धित किसी भी तरह की शिकायत होने पर आवश्यक कार्यवाही।
(स) इस योजना का समुचित प्रचार प्रसार, संबंधित संस्थाओं एवं कार्मिकों के प्रशिक्षण आयोजित करवाना।

आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

PRINCIPAL A.S.M.I.E..ASIND

IQAC COORDINATOR A.S.M.I.E..ASIND

Scanned with CamScanner

(द) त्वरित गति से स्कूटी के वितरण की व्यवस्था आदि की समीक्षा की जायेगी।

(10) स्कूटियों का क्रय(Procurement)

प्रत्येक विभाग के लिए योजना में वितरित की जाने वाली स्कूटी के क्रय **(Procurement)** हेतु स्कूटी का ब्रान्ड नाम, सीसी का निर्धारण, स्कूटी की कीमत आदि की कार्यवाही **RTPP Act 2012** एवं **RTPP Rules 2013** के प्रावधानों के तहत **नोडल विभाग** द्वारा आधुनिक तकनीकी विकास को ध्यान में रखते हुए की जावेगी।

उपर्युक्त दिशा–निर्देशों का अनुमोदन वित्त विभाग की आई.डी. क्रमांक–**102004611** दिनांक–**21.12.2020** से करने के उपरान्त जारी किये जा रहे है।

(संदेश नायक)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ 23(16)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.योजना/ऑनलाइन/2020-21/2139-2149 दिनांक: 24-12-2020

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, महोदय राजस्थान, जयपुर।
6. महालेखाकार राजस्थान जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. आयुक्त, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
9. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात् विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
12. प्रभारी वेबसाइट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

PRINCIPAL
A.S.M.I.E..ASIND

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

Scanned with CamScanner

1

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर।

क्रमांक एफ 9(- 116) उ.मै.छात्र./पेपरलेस/दिशा-निर्देश/सान्याअवि/2015-16/60901 दिनांक 09/10/2015

पेपरलेस (Paperless) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा-निर्देश-2015

राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं, जैसे : अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC), अन्य पिछडा वर्ग (OBC), आर्थिक पिछडा वर्ग (EBC- Dr. Ambedkar Post-Matric Scholarship for the Economically Backward Class Students - Centrally Sponsored Scheme), विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जाति (DNTs- Dr. Ambedkar Post-Matric Scholarship for the students for Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes - Centrally Sponsored Scheme), मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना (Mukhyamantri Sarvjan Uchcha Shikha Chhatravriti Yojna for students of IITs, IIMs and Other National Level Institutions- Budget annoucement 2014-15 no. 160) में छात्रवृति प्राप्त करने के लिए वर्ष 2015-16 से राज्य की राजकीय, स्वायत्तशाषी एवं निजी मान्यता प्राप्त/संबद्वता प्राप्त, राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थाओं/पाठ्यक्रमों में राज्य एवं राज्य के बाहर प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों द्वारा वेबपोर्टल rajpms.nic.in पर पेपरलेस (Paperless) ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों का ऑनलाईन निस्तारण करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड, शैक्षणिक संस्थाओं, विद्यार्थियों तथा विभागीय जिलाधिकारियों के लिए निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं।

i. शब्दों/वाक्यों का स्पष्टीकरण :

1. राज्य सरकार से अभिप्राय राजस्थान सरकार से है।
2. राजस्थान राज्य के मूल निवासी से अभिप्राय राजस्थान राज्य के मूल निवासी होने से है, जिसके साक्ष्य स्वरूप सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
3. विभाग से तात्पर्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार से है।
4. प्रमुख शासन सचिव से तात्पर्य प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,राजस्थान से है।
5. निदेशक/आयुक्त से तात्पर्य निदेशक/आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान से है।
6. प्रभारी अधिकारी/नोडल अधिकारी से तात्पर्य निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के स्तर पर योजनाओं की कार्यवाही को देख रहे/योजना का कियान्वयन कर रहे प्रभारी/नोडल अधिकारी से है।
7. जिलाधिकारी एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारी से तात्पर्य विभाग के जिला कार्यालयों में पदस्थापित उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से है।

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

PRINCIPAL
A.S.M.I.E..ASIND

Scanned by CamScanner

8. **ऑनलाईन आवेदन पत्र** से तात्पर्य उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में छात्रवृति प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में नवीन (Fresh) तथा नवीनीकरण (Renewal) ऑनलाईन आवेदन से है।

9. **नवीन (Fresh) ऑनलाईन आवेदन पत्र** से तात्पर्य किसी पाठ्यक्रम विशेष के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन पोर्टल **rajpms.nic.in** पर नवीन पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन करने से है।

10. **नवीनीकरण (Renewal) ऑनलाईन आवेदन पत्र** से तात्पर्य किसी पाठ्यक्रम विशेष के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन पोर्टल **rajpms.nic.in** पर उक्त पाठ्यक्रम विशेष के पश्चातवर्ती वर्षों (Subsequent years) में अध्ययन करने की स्थिति में विगत वर्षों में किए गए पंजीकरण के आधार पर प्राप्त यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड के आधार पर लॉगिन कर नवीनीकरण ऑनलाईन आवेदन करने से है।

11. **मूल निवास प्रमाण पत्र** से तात्पर्य उस प्रमाण पत्र से है, जो राजस्थान में निवासरत व्यक्तियों को निवास की अवधि के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

12. **जाति प्रमाण पत्र** से तात्पर्य उस प्रमाण पत्र से है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमन्तु, अर्द्ध घुमन्तु जातियों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

13. **स्वहस्ताक्षरित/स्वप्रमाणित** दस्तावेजों से तात्पर्य विद्यार्थी द्वारा ऑन लाईन आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेजों की स्वयं के हस्ताक्षर से स्वहस्ताक्षरित अर्थात् स्वप्रमाणित प्रति से है।

14. **ऑनलाईन दस्तावेजों** से तात्पर्य द्वारा उन दस्तावेजों से है जो स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन के साथ **rajpms.nic.in** पर अपलोड किए गए है।

15. **पेपरलैस से तात्पर्य** छात्रवृति आवेदन पत्र तथा उनके साथ लगने वाले उन वांछित दस्तावेजों से है, जो दस्तावेज स्केन कर ऑनलाईन ही पॉर्टल पर अपलोड किये जायेंगे, जिनकी हॉर्ड प्रति शिक्षण संस्था एवं छात्रवृति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को प्रेषित नहीं की जावेगी।

16. **मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा** छात्रवृति योजना हेतु सूचीबद्ध संस्थाओं से तात्पर्य संलग्न परिशिष्ट"अ" में शामिल/सूचीबद्ध राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं से है।

17. **अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क (Non-Refundable fees)** से तात्पर्य पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात् संस्था द्वारा विद्यार्थी को नहीं लौटाई जाने वाली उस राशि से है, जो विद्यार्थी द्वारा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर संस्था को जमा कराई जाती है। ऐसी राशि का विवरण निम्नानुसार है :– पंजीकरण, नामांकन, शिक्षण, खेल, यूनियन, पुस्तकालय, पत्रिका, परीक्षा आदि अनिवार्य शुल्क।

18. **प्रतिदेय शुल्क (Refundable fees)** से तात्पर्य पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात् संस्था द्वारा विद्यार्थी को लौटाई जाने वाली उस राशि से है, जो विद्यार्थी द्वारा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर संस्था को जमा कराई जाती है, ऐसी राशि का विद्यार्थी को पुर्नभरण नहीं किया जाएगा। ऐसे शुल्कों का विवरण निम्नानुसार है :–कॉशन मनी (Caution Money), सुरक्षा जमा राशि (Security Deposit Money), विकास शुल्क (Development Fees) आदि।

19. **छात्रवृति हेतु प्रमाण पत्र से तात्पर्य** उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में आवेदन करते समय विद्यार्थी द्वारा आधार नम्बर एवं भामाशाह पंजीकरण नही करवाने की स्थिति में आवेदन पत्र के साथ परिशिष्ट–"स" में प्रस्तुत प्रमाण पत्र से है जो स्कैन कर अपलोड किया जाना है। छात्रवृति प्रमाण पत्र परिशिष्ठ–"स" संलग्न है।

20. **आय का घोषणा पत्र** से तात्पर्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा छात्रवृति हेतु दिए गए प्रारूप परिशिष्ट–"द" में आय की घोषणा करने से है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा छात्रवृति हेतु जारी आय का घोषणा पत्र परिशिष्ठ "द" संलग्न है।

PRINCIPAL
A.S.M.I.E..ASIND

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

Scanned by CamScanner

ii. विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं के लिए योग्यता/पात्रता एवं अधिकतम वार्षिक आय सीमा विवरण :

क्र. सं.	योजना का नाम	योग्यता/पात्रता	वार्षिक आय सीमा	देय राशि/लाभ
1	अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना (Scheme of Post Matric Scholarship for the Scheduled Caste)	1. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. छात्र–छात्रा अनुसूचित जाति का हो। 3. छात्र–छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत अध्ययनरत हो।	छात्र–छात्रा के माता–पिता/पति–पत्नि/संरक्षक की वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख तक हो।	अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क (Non-Refundable Fees) एवं पाठ्यक्रम के अनुसार देय अनुरक्षण भत्ता
2	अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना (Sheme of Post Matric Scholarship for the Scheduled Tribes)	1. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. छात्र–छात्रा अनुसूचित जन जाति का हो। 3. छात्र–छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत अध्ययनरत हो।	छात्र–छात्रा के माता–पिता/पति–पत्नि / संरक्षक की वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख तक हो।	अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क (Non-Refundable Fees) एवं पाठ्यक्रम के अनुसार देय अनुरक्षण भत्ता
3	विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना (Scheme of Post Matric Scholarship to the Special Backward Class)	1. छात्र–छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत अध्ययनरत हो। 2. छात्र–छात्रा विशेष पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जाति का हो। 3. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो।	छात्र–छात्रा के माता–पिता/पति–पत्नि /संरक्षक की वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख तक हो।	अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क (Non-Refundable Fees) एवं पाठ्यक्रम के अनुसार देय अनुरक्षण भत्ता
4	अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना (Scheme of Post Matric Scholarship to the Other Backward Class)	1. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. छात्र–छात्रा अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए निर्धारित 1 से 17 प्राथमिकताओं का हो। 3. छात्र–छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत अययनरत हो।	छात्र–छात्रा के माता–पिता/पति–पत्नि /संरक्षक की वार्षिक आय रूपये 1.00 लाख तक हो।	अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क (Non-Refundable Fees) एवं पाठ्यक्रम के अनुसार देय अनुरक्षण भत्ता
5	डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना (EBC- Dr. Ambedkar Post-Matric Scholarship for the Economically Backward Class Students - Centrally Sponsored Scheme)	1. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हों। 2. छात्र–छात्रा आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित 1 से 17 प्राथमिकताओं का हो। 3. छात्र–छात्रा आरक्षित वर्ग की जातियों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग एवं DNTs) के अतिरिक्त सामान्य जातियों का हो। 4. छात्र–छात्रा राजकीय/ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत अध्ययनरत हो।	छात्र–छात्रा के माता–पिता/पति–पत्नि / संरक्षक की वार्षिक आय रूपये 1.00 लाख तक हो।	अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क (Non-Refundable Fees) एवं पाठ्यक्रम के अनुसार देय अनुरक्षण भत्ता

PRINCIPAL
S.M.I.E..ASIND

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

Scanned by CamScanner

6	डॉ. अम्बेडकर DNTs उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना (DNTs- Dr. Ambedkar Post-Matric Scholarship for the students for Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes)	1. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. छात्र–छात्रा DNTs (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, विशेष पिछडा वर्ग में शामिल जातियों को छोडकर) के अतिरिक्त जातियों का हो। 3. छात्र–छात्रा राजकीय/ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत अध्ययनरत हो।	छात्र–छात्रा के माता–पिता/पति–पत्नि/संरक्षक की वार्षिक आय रूपये 2.00 लाख से कम हो।	पाठ्यक्रम के अनुसार देय केवल अनुरक्षण भत्ता (Maintenance allowance)
7	मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना (Mukhya Mantri sarvjan Uchha Shiksha Chhatravriti Yojana)	1. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. छात्र–छात्रा किसी भी वर्ग/जाति से हो। 3. छात्र–छात्रा राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो। 4. राष्ट्रीय स्तर की परिशिष्ठ–अ पर सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को ही यह छात्रवृति देय होगी।	छात्र–छात्रा के माता–पिता/पति–पत्नि/संरक्षक की वार्षिक आय रूपये 5.00 लाख रूपये से कम हो।	केवल अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्कों (Non-Refundable Fees) का आधा अर्थात् 50 प्रतिशत

iii. **अन्य पिछडा वर्ग (OBC) एवं आर्थिक पिछडा वर्ग (EBC) के लिए प्राथमिकताऐं :**

अन्य पिछडा वर्ग एवं आर्थिक पिछडा वर्ग में सीमित वित्तीय संसाधनों के मध्यनजर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित करने एवं निस्तारित करने हेतु निम्नानुसार 1 से 17 प्राथमिकताऐं होगी :–

1. बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री	2. बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्र
3. अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री	4. अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्र
5. स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री	6. स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक का पुत्र
7. अनाथ बालिका	8. अनाथ बालक
9. विधवा स्वयं	
10. विधवा की पुत्री	11. विधवा का पुत्र
12. तलाकशुदा महिला स्वयं	
13. तलाकशुदा महिला की पुत्री	14. तलाकशुदा महिला की पुत्र
15. विशेष योग्यजन स्वयं	
16. विशेष योग्यजन की ~~पुत्र~~ पुत्री	17. विशेष योग्यजन की ~~पुत्री~~ पुत्र

A. सीमित वित्तीय प्रावधान के कारण वर्ष 2015–16 से अन्य पिछडा वर्ग एवं आर्थिक पिछडा वर्ग में 1 से 17 प्राथमिकताओं के ही आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाऐंगे। अतः उत्तर मैट्रिक छात्रवृति पॉर्टल rajpms.nic.in पर केवल 01 से 17 प्राथमिकताओं के ही आवेदन पत्र ऑनलाईन आमंत्रित किए जावें।

B. वर्ष 2015–16 से अन्य पिछडा वर्ग एवं आर्थिक पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में नवीन निर्धारित प्राथमिकता क्रम 1 से 17 तक में प्रथम प्राथमिकता के पात्र समस्त आवेदन पत्रों के **निस्तारण उपरान्त बजट उपलब्ध होने की स्थिति में द्वितीय प्राथमिकता के आवेदकों के आवेदन पत्र पर विचार किया जाएगा। अर्थात बजट की उपलब्धता के आधार पर क्रमशः एक प्राथमिकता के आवेदकों के आवेदन पत्रों का निस्तारण होने के उपरान्त दूसरी प्राथमिकता, दूसरी प्राथमिकता के निस्तारण के उपरान्त तीसरी प्राथमिकता। क्रमशः इसी प्रकार 01 से 17 तक की प्राथमिकताओं के आवेदन पत्रों का बजट की उपलब्धता के आधार पर निस्तारण संबंधी कार्यवाही की जाएगी।**

PRINCIPAL
A.S.M.I.E..ASIND

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

Scanned by CamScanner

iv. **आय परीक्षण (MEANS TEST), आय का घोषणा पत्र (परिशिष्ठ–द) /फार्म नं. 16/पेंशनर का बैंक का वार्षिक स्टेटमेंट :**

1. बेरोजगार अविवाहित पुरूष विद्यार्थी के मामले में, यदि माता–पिता दोनों ही जीवित है, तो माता–पिता दोनों की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय सम्मिलित की जाकर आय की घोषणा की जायेगी।
2. बेरोजगार विवाहित पुरूष विद्यार्थी के मामले में, उसके माता–पिता तथा उसकी पत्नी (यदि रोजगार में है, तो) की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय सम्मिलित की जाकर आय की घोषणा की जायेगी।
3. बेरोजगार अविवाहित पुरूष विद्यार्थी के मामले में, यदि माता/पिता में से कोई एक जीवित है, तो जीवित की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय सम्मिलित की जाकर आय की घोषणा की जायेगी।
4. विद्यार्थी के माता–पिता दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में उनके संरक्षक जो उसकी पढाई में मदद/सहायता कर रहे हो, की वार्षिक आय को मानते हुये आय की घोषणा की जायेगी।
5. बेरोजगार अविवाहित महिला विद्यार्थी के मामले में, यदि माता–पिता दोनों ही जीवित है, तो माता–पिता दोनों की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय सम्मिलित की जाकर आय की घोषणा की जायेगी।
6. बेरोजगार अविवाहित महिला विद्यार्थी के मामले में, यदि माता/पिता में से कोई एक जीवित है, तो जीवित की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय सम्मिलित की जाकर आय की घोषणा की जायेगी।
7. बेरोजगार विवाहित महिला विद्यार्थी के मामले में, उसके पति की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय सम्मिलित की जावेगी, अन्य किसी भी सदस्य की आय को सम्मिलित नहीं किया जाकर आय की घोषणा की जायेगी।
8. बेरोजगार विवाहित पुरूष विद्यार्थी की पत्नी की मृत्यु होने की स्थिति में उनके संरक्षक जो उसकी पढाई में मदद/सहायता कर रहे हो, की वार्षिक आय को मानते हुये आय की घोषणा की जायेगी।
9. बेरोजगार विवाहित महिला विद्यार्थी के पति की मृत्यु होने की स्थिति में उनके संरक्षक जो उसकी पढाई में मदद/सहायता कर रहे हो, की वार्षिक आय को मानते हुये आय की घोषणा की जायेगी।
10. तलाकशुदा महिला के स्वयं के विद्यार्थी होने की स्थिति में संरक्षक जो उसकी पढाई में मदद/सहायता कर रहे हो, की वार्षिक आय को मानते हुये आय की घोषणा की जायेगी। यदि ऐसी महिला एकल महिला के रूप में रहती है तो उसका स्वयं की वार्षिक आय को मानते हुये स्वयं विद्यार्थी द्वारा आय की घोषणा की जायेगी।
11. तलाकशुदा महिला के पुत्र/पुत्री के विद्यार्थी होने की स्थिति में संरक्षक जो उसकी पढाई में मदद/सहायता कर रहे हो, की वार्षिक आय को मानते हुये आय की घोषणा की जायेगी। यदि ऐसी महिला एकल महिला के रूप में रहती है तो उसका स्वयं की वार्षिक आय को मानते हुये स्वयं विद्यार्थी द्वारा आय की घोषणा की जायेगी।
12. विद्यार्थी के माता–पिता दोनों, संरक्षक, बेरोजगार विवाहित महिला विद्यार्थी के पति/बेरोजगार विवाहित पुरूष विद्यार्थी की पत्नी की भी मृत्यु हो जावे अर्थात विद्यार्थी के अलावा परिवार में कोई अन्य सदस्य जीवित न हो, तो विद्यार्थी की स्वयं की वार्षिक आय को मानते हुये स्वयं विद्यार्थी द्वारा आय की घोषणा की जायेगी।
13. ऐसे विद्यार्थी जिनके अभिभावकों की मृत्यु से परिवार की आय कम होकर, इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृति की आय सीमा तक पात्र बन जाते हैं, तो इस प्रकार के विद्यार्थियों के आवेदन पर आवेदन करने की अन्तिम तिथि के बाद भी सहानुभूति के आधार पर विचार किया जा सकता है।

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

PRINCIPAL
A.S.M.I.E..ASIND

Scanned by CamScanner

14. ऐसे पाठ्यक्रम जिनकी अवधि एक वर्ष से अधिक है, उन पाठ्यक्रमों हेतु **परिशिष्ट–द "आय का घोषणा पत्र"** पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय केवल एक ही बार आवेदन पत्र के साथ लेना आवश्यक है।
15. अभिभावकों का आय का घोषणा पत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा छात्रवृति हेतु जारी **परिशिष्ट–द "आय का घोषणा पत्र"** ही मान्य होगा, अन्य प्रारूप में आय का घोषणा पत्र मान्य नहीं होगा।
16. अभिभावकों के राजकीय सेवा में कार्यरत होने की स्थिति में परिशिष्ट–द आय का घोषणा पत्र के स्थान पर "गत वर्ष का फार्म नं. 16" संलग्न करना होगा।
17. अभिभावकों के राजकीय सेवा से सेवानिवृत हो जाने की स्थिति में जिस खाते में पेंशन धारक की पेंशन आ रही है, उस **"बैंक के खाते का वार्षिक स्टेटमेंट"** (जिसमें प्रतिमाह अर्जित पेंशन का ब्यौरा अंकित हो) मान्य होगा।

v. छात्रवृति की अवधि तथा नवीनीकरण :

1. अगर कोई पाठ्यक्रम एक से अधिक वर्ष की अवधि का है, तो भी छात्रवृति का नवीनीकरण आवेदन प्रतिवर्ष किया जायेगा तथा यह पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक लगातार होता रहेगा।
2. अगर कोई विद्यार्थी बीमार होने अथवा किसी आकस्मिक/अप्रत्याशित घटना के कारण से वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है, उस स्थिति में अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए उसकी छात्रवृति का नवीनीकरण किया जा सकता है।
3. अगर संस्थान के नियम के अनुसार किसी विद्यार्थी को पिछली कक्षा में असफल होने के बावजूद अगली कक्षा में प्रोन्नति मिल जाती है जबकि कुछ समय बाद पुनः उस छात्र को पिछली कक्षा की परीक्षा देनी होगी, तो भी वह अगली कक्षा की छात्रवृति का पात्र होगा, अगर छात्र अन्य मामलों में छात्रवृति लेने का पात्र हो।

vi. छात्रवृति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्ते :

1. छात्रवृति विद्यार्थी की नियमित उपस्थिति एवं अच्छे आचरण की शर्त पर देय होगी।
2. किसी भी विद्यार्थी को छात्रवृति दिया जाना उसके आचरण तथा सन्तोषजनक प्रगति पर निर्भर करता है। यदि संस्था प्रधान द्वारा किसी विद्यार्थी के बारे में संतोषजनक प्रगति न होने, किसी हड़ताल में शामिल होने के फलस्वरूप दोषी पाये जाने पर या अनुशासनहीनता की श्रेणी होने पर या संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी की बिना अनुमति अनुपस्थित/अनियमित रहने की रिपोर्ट प्रेषित करने पर छात्रवृति स्वीकृतिकर्ता अधिकारी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उस विद्यार्थी की छात्रवृति को निरस्त कर सकेगा या उस अवधि के लिये छात्रवृति रोक सकेगा, जैसा भी छात्रवृति स्वीकृतकर्ता अधिकारी उचित समझे निर्णय ले सकेगा।
3. अगर कोई विद्यार्थी गलत तथ्यों के आधार पर छात्रवृति लेते हुए पाया गया हो तो उसकी छात्रवृति निरस्त कर दी जायेगी तथा छात्रवृति की जितनी रकम दी गई है, वापस ले ली जायेगी। इस तरह के क्रिया कलाप से संबंधित विद्यार्थी को हमेशा के लिए किसी भी योजना के अन्तर्गत किसी भी छात्रवृति से विवर्जित (Debarred) कर दिया जायेगा तथा विद्यार्थी को काली सूची (Black List) में डाल दिया जायेगा तथा छात्रवृति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे, तो उसके विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।
4. अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका ऑनलाइन आवेदन पत्र जानबूझ कर छात्रवृत्ति स्वीकृति करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृति से विवर्जित (Debarred) कर दिया जायेगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैक लिस्ट (Black List) में डाल दिया जायेगा तथा छात्रवृति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे, तो ऐसे संस्थान के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

PRINCIPAL
A.S.M.I.E..ASIND

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

Scanned by CamScanner

2. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एवं वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा एवं अन्य विश्वविद्यालय जो पत्राचार के माध्यम से पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं, ऐसे विश्व विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अनुरक्षण भत्ता मद में किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है।
3. मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना के विद्यार्थियों को केवल नियमानुसार अप्रतिदेय शुल्क/फीस राशि की आधी अर्थात 50 प्रतिशत फीस राशि का ही पुनर्भरण किया जावेगा। इन विद्यार्थियों को अनुरक्षण भत्ता मद में किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है।

xi. <u>बुक बैंक (Book Bank)</u> :

1. राजकीय/मान्यता प्राप्त संस्थान जो कि व्यवासायिक पाठ्यक्रमों यथा– मेडिकल, इन्जिनीयरिंग, कृषि, पॉलोटेक्निक, विधि, प्रबन्धन, सी.ए. जैसे पाठ्यक्रम संचालित कर रही शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना से लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाने हेतु बजट की उपलब्धता के अनुसार शिक्षण संस्थाओं को बजट उपलब्ध करवाया जाता है।
2. बुक बैंक योजनान्तर्गत डिग्री पाठ्यक्रमों में दो छात्रों पर एक सेट के लिए विभिन्न श्रेणी के पाठ्यक्रमों के अनुसार 2400 रूपये से 7500 रूपये दिये जाते है एवं पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में एक छात्र पर एक सेट के लिए 5000 रूपये आवंटन किये जाते है एवं पुस्तकों के रखरखाव के लिए प्रति अलमारी हेतु 2000 रूपये तक दिये जाते हैं।

xii. <u>वित्त व्यवस्था</u> :

1. अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC),केन्द्र प्रवर्तित छात्रवृति योजनाओं में राज्य कमीटेड लाईब्लीटीज से ऊपर का समस्त व्यय केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा।
2. डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमुन्त एवं अर्धघुमन्तु जाति (DNTs) में राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा क्रमशः 25 : 75 के अनुपात में बजट प्रावधान किया जाएगा।
3. डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) छात्रवृति योजना में समस्त (शत–प्रतिशत) व्यय केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा।
4. डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमुन्त एवं अर्द्धघुमुन्त जाति (DNTs) एवं डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) छात्रवृति योजनाओं में कुल बजट प्रावधान में से 1 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय में व्यय की जा सकेगी।
5. विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) एवं मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना (Mukhyamantri sarvjan ucha shiksha chhatrvriti yojna) पूर्णतः राज्य की उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाऐं है, जिसका समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा।

xiii. <u>भुगतान प्रक्रिया</u> :

1. छात्रवृति का भुगतान विद्यार्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित उसके स्वयं के बैंक खाते में ही DBT के माध्यम से किया जायेगा।
2. विद्यार्थी अपना बैंक खाता अपनी सुविधानुसार किसी भी अनुसूचित व्यावसायिक बैंक (Scheduled Commercial Banks),जो कोर बैंकिंग सेवा (Core Banking Services) से जुड़ा है, में खुलवा सकता है। किसी बैंक विशेष की बाध्यता नहीं होगी।
3. बैंक द्वारा विद्यार्थी के बैंक खाते में राशि स्थानान्तरण के संबंध में कमीशन काटा जाता है तो वह स्वयं विद्यार्थी को वहन करना होगा।

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

PRINCIPAL
A.S.M.I.E..ASIND

Scanned by CamScanner

vii. **क्रियान्विति एजेन्सी / छात्रवृति स्वीकृतकर्त्ता एजेन्सी :**

1. राज्य की राजकीय, स्वायत्तशासी (Autonoumus), मान्यता प्राप्त निजी तथा राज्य से बाहर की शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की छात्रवृति स्वीकृति जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जायेगी।
2. कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की छात्रवृति स्वीकृति संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) अथवा जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जायेगी।

viii. **विद्यार्थी को देय छात्रवृति राशि (Value of Scholarships) :**

1. अनुरक्षण भत्ता (Maintenance allowance)
2. संस्थान द्वारा ली गई अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क (Non refundable fees)
3. अध्ययन यात्रा भत्ता (Study tour charges)
4. रिसर्च स्कालर्स के लिए थीसिस टाईपिंग एवं प्रिंटिंग चार्जेज (Thesis typing/printing charges for Reserch Scholars)
5. पत्राचार पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों हेतु पुस्तक भत्ता (Book allowances for student pursuing correspondance courses)
6. तकनीकी एवं मेडीकल पाठ्यक्रमों के लिए बुक बैंक (Book bank facility for specified courses)
7. निःशक्तजनों के लिए अतिरिक्त भत्ता (additional allowance for students with disabilities)

ix. **विद्यार्थी को अदेय (नहीं दी जाने वाली) छात्रवृति राशि :**

1. कॉशन मनी (Caution Money)
2. सुरक्षा जमा राशि (Security Deposit Money)
3. विकास शुल्क (Development Fees)

X. **अनुरक्षण भत्ता (Maintenace allowance) :**

1. उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के छात्रावासी एवं गैर छात्रावासी तथा निःशक्तजनों के लिए अतिरिक्त भत्ता (SC,ST,SBC, DNTs की एक समान दरें तथा OBC/EBC की अलग दरें) की प्रतिमाह दरों के अनुसार कोर्स समाप्ति तक (Complete duration of course) दिया जाता है।

ग्रुप	कोर्स (यह कोर्स केवल उदारणार्थ है, विस्तृत कोर्स नियमावली में उपलब्ध है)	SC / ST/ SBC/ DNTs		OBC / EBC		CMSS (मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना)
		छात्रावासी	गैर–छात्रावासी	छात्रावासी	गैर–छात्रावासी	
A	IIT AIIMS ,MBBS, P.G., C.A., CS, M Phil, PhD, D.Litt. LLM, etc.	1200	550	750	350	योजना के साथ संलग्न सूची में वर्णित शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को शिक्षण संस्था द्वारा ली जाने वाली अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क / फीस राशि की आधी अर्थात 50 प्रतिशत फीस राशि का ही पुनर्भरण किया जावेगा। अनुरक्षण भत्ता एवं प्रतिदेय शुल्क / फीस राशि का पुनर्भरण नहीं किया जावेगा।
B	B Pharma, Nursing, LLB, M.Ed, M.A.,Msc, M.Com. M.Pharma. Diploma etc.	820	530	510	335	
C	B.A., B.Sc., B.Com,B.Ed.	570	300	400	210	
D	Class XI and XIIth	380	230	260	160	

PRINCIPAL
A.S.M.I.E..ASIND

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

Scanned by CamScanner

xiv. आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु उदघोषणा :

1. उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु राज्य सरकार आवश्यकतानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित करने की घोषणा करेगी। योजना का विस्तृत विवरण तथा आवेदन के लिए आमंत्रण की सूचना राज्य के महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम तथा अन्य माध्यमों से दी जायेगी।
2. उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु ऑनलाईन पोर्टल rajpms.nic.in पर योजना का विस्तृत विवरण, योजना संबंधी दिशा–निर्देश एवं ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया संबंधी जानकारी उपलब्ध रहेगी।
3. आवेदन पत्र तथा अन्य किसी प्रकार की सहायता/जानकारी के लिए विद्यार्थी को संबंधित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्पर्क करना होगा।
4. विद्यार्थी द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तिम तिथि तक rajpms.nic.in पोर्टल पर ऑन लाईन पूर्ण कर लॉक किया जाना अनिवार्य होगा।

xv. उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु विश्वविद्यालयों एवं बोर्ड आदि के लिए दिशा–निर्देश :

1. वर्ष 2015–16 से *राज्य एवं राज्य के बाहर के* सभी विश्वविद्यालयों एवं बोर्ड तथा *राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों* आदि के लिए यूज़र आई.डी. एवं पासवर्ड जारी किए जाऐंगे जो संबंधित जिले के जिला कार्यालय के माध्यम से संबंधित विश्वविद्यालय एवं बोर्ड आदि को उपलब्ध करवाये जाऐंगे।
2. यूज़र आई.डी एवं पासवर्ड प्राप्त होने के उपरान्त विश्वविद्यालयों एवं बोर्ड तथा *राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों* द्वारा संबंधित शिक्षण संस्थान के उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रतिवर्ष यथाशीघ्र वांछित प्रविष्टियाँ अंकित की जाऐगी।
3. विश्वविद्यालयों एवं बोर्ड द्वारा उनसे संबंधित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं एवं उनके द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों का यथासमय ऑनलाइन सत्यापन किया जाऐगा।
4. विश्वविद्यालयों एवं बोर्ड के अधीन शैक्षणिक संस्थायें अपने से संबंधित विश्वविद्यालयों एवं बोर्ड से संपर्क कर ऑनलाईन सत्यापन संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।
5. विश्वविद्यालयों एवं बोर्ड द्वारा संबंधित संस्थान का ऑनलाइन सत्यापन का कार्य निर्धारित समयावधि से पूर्व नहीं होने की दशा में उस संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किए जा सकेंगे। इसके लिए संबंधित शैक्षणिक संस्थान, विश्वविद्यालय एवं बोर्ड जिम्मेदार होंगे।

xvi. राजकीय, निजी, स्वायत्तशाषी मान्यता प्राप्त, राष्ट्रीय स्तर की सूचीबद्व शिक्षण संस्थाओं के लिए दिशा–निर्देश :

1. *राज्य एवं राज्य के बाहर की राजकीय, निजी, स्वायत्तशाषी मान्यता प्राप्त, राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आवेदन पत्र संबंधित शिक्षण संस्थाओं द्वारा संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी (जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) को ऑनलाईन फारवर्ड किए जाऐगें।*
2. *राज्य की राजकीय, निजी, स्वायत्तशाषी मान्यता प्राप्त, राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आवेदन पत्र जिस जिले में संबंधित शिक्षण संस्थान स्थित है, उस जिले के स्वीकृतकर्ता अधिकारी (जिलाधिकारी, सान्याअवि) को ऑनलाईन फारवर्ड किए जाऐगें।*

PRINCIPAL
A.S.M.I.E..ASIND

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

Scanned by CamScanner

3. *राज्य के बाहर की राजकीय, निजी, स्वायत्तशाषी मान्यता प्राप्त, राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आवेदन पत्र, विद्यार्थी जिस जिले का मूल निवासी है, उस जिले के स्वीकृतकर्ता अधिकारी (जिलाधिकारी, सान्याअधि) को ऑनलाईन फारवर्ड किए जाऐगें।*
4. सभी शिक्षण संस्थाओं को यूज़र आई.डी. एवं पासवर्ड जारी किए जाऐंगे जो संबंधित जिले के जिला कार्यालय द्वारा संबंधित शिक्षण संस्थान को उपलब्ध करवाये जाऐंगे।
5. यूज़र आई.डी एवं पासवर्ड प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित शिक्षण संस्थान के उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रतिवर्ष यथाशीघ्र वांछित प्रविष्टियाँ अंकित की जाऐगी। यदि कोई शिक्षण संस्थान अपना पासवर्ड भूल जाती है तो उसको Reset करने के लिए संबंधित जिलाधिकारी अधिकृत है।
6. वर्ष 2015-16 से उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु आवेदन करने वाले राजकीय, निजी, स्वायत्तशाषी मान्यता प्राप्त, राष्ट्रीय स्तर की सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रतिवर्ष प्रोफाइल अपडेट करवानी अनिवार्य होगी।
7. शैक्षणिक संस्थान किस विश्वविद्यालयों एवं बोर्ड आदि से मान्यता/ सम्बद्धता प्राप्त है उसका चयन पोर्टल से किया जाना है। अतः संबंधित संस्थान का मान्यता/सम्बद्धता संबंधी दस्तावेजों की प्रतियां, संशोधन होने की स्थिति में प्रतिवर्ष छात्रवृति पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।
8. संबंधित शैक्षणिक संस्थान द्वारा कौन–कौनसे पाठयक्रमों का संचालन किया जा रहा है, उनका विवरण छात्रवृति पोर्टल पर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही पाठ्यक्रमों की मान्यता/सम्बद्धता संबंधी दस्तावेजों की प्रतियां भी पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक होगा। यदि पाठ्यक्रमों में परिवर्तन/संशोधन होता है तो संशोधित पाठ्यक्रमों की प्रतियां छात्रवृति पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।
9. शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा वर्षवार एवं मदवार ली जा रही निम्नलिखित फीस की राशि का विवरण प्रतिवर्ष छात्रवृति पोर्टल पर सत्यापन किया जाना आवश्यक होगा। संस्थान द्वारा विद्यार्थी को जारी की जाने वाली फीस की रसीद में निम्नलिखित मदवार प्राप्त किए गए शुल्क का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित जाना वांछनीय है ताकि उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के विद्यार्थी को पुनर्भरण करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो :–
   a. पंजीकरण शुल्क (Registration Fee)
   b. नामांकन शुल्क (Enrolment Fee)
   c. शिक्षण शुल्क (Tuition Fee)
   d. खेल–कूद शुल्क (Games Fee)
   e. संगठन (यूनियन) शुल्क (Union Fee)
   f. पुस्तकालय शुल्क (Library Fee)
   g. पत्रिका शुल्क (Magazine Fee)
   h. परीक्षा शुल्क (Examination Fee)
10. क्रम संख्या 6 में अंकित उक्त शुल्कों के अतिरिक्त विद्यार्थी को Other Fees के नाम से किसी प्रकार की राशि देय नहीं होगी। क्रम संख्या 6 में उल्लेखित मदों का मदवार विवरण विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन अंकित नहीं करने की स्थिति में विद्यार्थी को पुनर्भरण की जाने वाली छात्रवृति राशि का पुनर्भरण संभव नहीं होगा। अतः विद्यार्थी द्वारा उक्त शुल्कों का अलग–अलग विवरण अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

PRINCIPAL
S.M.I.E..ASIND

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

Scanned by CamScanner

8. वर्ष 2015–16 से उत्तर मैट्रिक छात्रवृति आवेदन पत्र पेपरलेस किया जा रहा है। अतः विद्यार्थियों द्वारा पंजीकरण किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्डकॉपी को संबंधित शिक्षण संस्थान में जमा नहीं कराया जाएगा।
9. विद्यार्थियों द्वारा आवेदन पत्र ऑनलाइन लॉक करने के उपरान्त, संबंधित शैक्षणिक संस्थान के आई. डी. पर ऑनलाईन उपलब्ध हो जाएगा।
10. शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रत्येक आवेदन पत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की गहनता से जांच करनी होगी।
11. अगर शैक्षणिक संस्थान को विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन प्रेषित सूचना में किसी प्रकार की कोई त्रुटि ज्ञात होती है तो उनके द्वारा ऐसे आवेदन पत्र में ऑनलाईन आक्षेप अंकित किया जावेगा।
12. संस्थान द्वारा ऑनलाईन आक्षेप करने के उपरान्त आक्षेपित आवेदन पत्र संबंधित विद्यार्थी को आक्षेप पूर्ति हेतु ऑनलाईन उपलब्ध होगा।
13. विद्यार्थी द्वारा आक्षेप पूर्ति के लिए अधिकतम 7 दिवस का समय निर्धारित किया गया है। अतः विद्यार्थी को 7 दिवस में आक्षेप पूर्ति कर संबंधित शिक्षण संस्थान को ऑनलाईन प्रेषित करना होगा।
14. विद्यार्थी द्वारा 7 दिवस में आक्षेप की पूर्ति नहीं की जाती है तो उनका आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, इसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। आवेदन निरस्त होने के उपरान्त यदि आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु छात्रवृति पोर्टल खुला है तो विद्यार्थी को पुनः पंजीकरण कर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा नहीं।
15. विद्यार्थी द्वारा जान–बूझकर मिथ्या तथ्य प्रस्तुत कर छात्रवृति प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है और इसकी जानकारी संस्थान को प्राप्त होती है तो संस्थान द्वारा ऐसे विद्यार्थी का आवेदन पत्र स्थाई रूप से निरस्त कर दिया जाए। ऐसा करते समय यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि स्थाई रूप से निरस्त आवेदन पत्रों को किसी भी स्तर से पुनः प्रक्रियागत नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।
16. मिथ्या तथ्य एवं गलत जानकारी के आधार के पर उत्तर मैट्रिक छात्रवृति प्राप्त करने वाले ऐसे विद्यार्थी के विरूद्ध संस्थान द्वारा आपराधिक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। इसकी सूचना राज्य स्तर के प्रभारी अधिकारी/नोडल अधिकारी के एकाउन्ट में भी अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाएगी। उनके स्तर पर निर्णय लिया जाएगा कि ऐसे विद्यार्थियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जाए है तथा ऐसे विद्यार्थियों को विभाग की ओर से मिलने वाली छात्रवृति के लिए भविष्य में स्थाई रूप से विवर्जित (डी–बार) एवं ब्लैक लिस्टेड किया जाए।
17. शैक्षणिक संस्थान द्वारा केवल वे ही आवेदन पत्र स्वीकृतिकर्ता अधिकारी को अग्रेषित किए जाएगें जिनकी सत्यता के बारे में शिक्षण संस्थान का संस्था प्रधान अथवा छात्रवृति हेतु प्राधिकृत अधिकारी पूर्णतः संतुष्ट है।
18. ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं उसके साथ स्कैन कर अपलोड किये गये दस्तावेजों की गहन जांच के उपरान्त संबंधित शैक्षणिक संस्थान द्वारा छात्रवृति स्वीकृति योग्य आवेदन पत्रों को स्वीकृति हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संबंधित जिलाधिकारी को डिजीटल हस्ताक्षर (DSC) के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र अग्रेषित करेंगे।

PRINCIPAL
A.S.M.I.E..ASIND

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

Scanned by CamScanner

19. यदि शैक्षणिक संस्थान द्वारा आवेदन अग्रेषित करने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी को जानकारी प्राप्त होती है कि वास्तविक तथ्यों में कोई फेरबदल कर या कोई तथ्य छुपाया जाकर है या किसी तथ्य को तोड–मरोड कर प्रस्तुत किया जाकर विभाग/सरकार को गुमराह करते हुए या छल–कपट कर बेइमानी के आधार पर छात्रवृति राशि प्राप्त करने हेतु विद्यार्थी ने आवेदन किया है तथा उक्त विद्यार्थी की छात्रवृति स्वीकृत करने हेतु शिक्षण संस्था द्वारा अनुशंषा की गई है, तो विद्यार्थी एवं शिक्षण संस्थान का उक्त कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 177, 197, 198, 199, 200, एवं 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। ऐसे कृत्य करने पर विद्यार्थी, संबंधित शिक्षण संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृति हेतु प्राधिकृत अधिकारी के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया जायेगा। इन धाराओं में दोषी पाये जाने संबंधित को 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।

xvii. विद्यार्थियों के लिए (पूर्व में पंजीकृत एवं नए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के लिए) दिशा–निर्देश :

1. विद्यार्थी को आवेदन पत्र ऑन लाईन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज/सूचनाऐं तैयार रखना आवश्यक होगा :–

A. आधार संख्या अथवा आधार पंजीकरण संख्या मय रसीद
B. भामाशाह आई डी अथवा भामाशाह पंजीकरण संख्या मय रसीद
C, स्वयं के बैंक खाते की जानकारी बैंक खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी. कोड, एम.आई.सी.आर. कोड, बैक शाखा
D. शैक्षणिक संस्थान का नाम जहां विद्यार्थी अध्ययनरत है
E. पाठ्यक्रम का नाम जिसमें विद्यार्थी अध्ययनरत है
F. वर्तमान शैक्षणिक सत्र में प्रवेश का दिनांक
G. वर्तमान शैक्षणिक सत्र समाप्त होने की सम्भावित दिनांक
H. मदवार फीस की रसीद संख्या, दिनांक एवं मदवार राशि का विवरण

2. विद्यार्थी को उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु आवेदन करने के लिए श्रेणी के आधार पर निम्नलिखित योजनाओं में आवेदन करने की सुविधा ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध होगी :–

A. SC Student – PMS SC and CM Higher Education
B. ST Student – PMS ST and CM Higher Education
C. OBC Student – PMS OBC and CM Higher Education
D. SBC Student – PMS SBC and CM Higher Education
E. General Student – PMS EBC and CM Higher Education
F. DNTs Student – PMS DNTs and CM Higher Education

3. विद्यार्थी द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु ऑनलाईन पंजीकरण करने अथवा आवेदन पत्र भरने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका स्वयं के नाम से आधार नम्बर है। यदि आधार नम्बर नहीं है तो तुरन्त आधार का पंजीकरण करवाया जाकर आधार पंजीकरण रसीद (EID) की स्कैन प्रति छात्रवृति पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा।

PRINCIPAL
A.S.M.I.E..ASIND

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

Scanned by CamScanner

4. विद्यार्थी द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु ऑनलाईन पंजीकरण करने अथवा आवेदन पत्र भरने से पहले अपने परिवार का भामाशाह कार्ड नम्बर प्राप्त करना आवश्यक होगा। यदि भामाशाह पंजीकरण करवाने के उपरान्त भी भामाशाह कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है तो भामाशाह पंजीकरण रसीद की प्रति छात्रवृति पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा।
5. विद्यार्थी द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में आवेदन करते समय आधार नम्बर एवं भामाशाह पंजीकरण नहीं करवाने की स्थिति में छात्रवृत्ति हेतु प्रमाण पत्र (परिशिष्ठ–स) आवेदन पत्र के अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है। छात्रवृति प्रमाण पत्र परिशिष्ठ– स संलग्न है।
6. विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन पंजीकरण करते समय अपनी ई–मेल आई.डी. एवं मोबाईल नम्बर आवेदन करते समय साथ रखना अनिवार्य होगा ताकि पंजीकरण में अनावश्यक विलम्ब ना हो।
7. ऑनलाईन पंजीकरण करते समय विद्यार्थी की ई–मेल आई.डी. एवं मोबाईल नम्बर पर One Time Passward (OTP) प्रेषित किया जावेगा। विद्यार्थी द्वारा One Time Passward (OTP) अंकित करने के उपरान्त ही विद्यार्थी की छात्रवृति पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी।
8. विद्यार्थी द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु ऑनलाईन पंजीकरण करते समय एक मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आईडी से केवल एक विद्यार्थी का ही पंजीकरण किया जा सकेगा।
9. उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु ऑनलाईन पंजीकरण करते समय विद्यार्थी को मोबाईल एवं ई–मेल पर यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। जिसके माध्यम से लॉगिन करने के उपरान्त विद्यार्थी द्वारा छात्रवृति हेतु अपना आवेदन पत्र ऑनलाईन किया जा सकेगा।
10. विद्यार्थी द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु ऑनलाईन पंजीकरण एवं आवेदन करते समय सही जानकारी उपलब्ध करवाई जावे।
11. विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन पंजीकरण करते समय स्वयं के नाम से संचालित बैंक खाते के संबंध में ही छात्रवृति पोर्टल पर विवरण उपलब्ध करवाना होगा।
12. विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण करने के बाद नवीन अथवा नवीनीकरण ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेजों की स्कैन प्रतियां JPG फार्मेट में तैयार कर छात्रवृति पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। स्कैन की गई फाईल का आकार किसी भी स्थिति में 100 KB से अधिक नहीं होगा। प्रत्येक दस्तावेज के लिए निर्धारित दस्तावेज का फाईल का नाम उस प्रपत्र के सम्मुख अंकित है:–

क्र. सं.	नवीन (Fresh) आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	नवीनीकरण (Renewal) आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	फाईल का निर्धारित नाम
a.	पासपोर्ट आकार की फोटो	-----	<userID>_Photo.jpg
b.	मूल निवास प्रमाण पत्र	-----	<userID>_Bonafide_Certificate.jpg
c.	जाति प्रमाण पत्र	-----	<userID>_Caste_Certificate.jpg
d.	दसवी कक्षा की अंकतालिका	-----	<userID>_Class_X.jpg
e.	आय का घोषणा पत्र (परिशिष्ट द)	-----	<userID>_Income_ Declaration.jpg
f.	फीस की रसीद	फीस की रसीद	<userID>_Fees.jpg

PRINCIPAL
A.S.M.I.E..ASIND

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

Scanned by CamScanner

g.	आधार नम्बर अथवा आधार पंजीकरण रसीद (EID)	आधार नम्बर अथवा पंजीकरण रसीद (EID) (नवीन आवेदन के साथ संलग्न नहीं करने की स्थिति में)	<userID>_UID_ Certificate.jpg
h.	भामाशाह पंजीकरण कार्ड अथवा भामाशाह पंजीकरण रसीद	भामाशाह पंजीकरण कार्ड अथवा भामाशाह पंजीकरण रसीद (नवीन आवेदन के साथ संलग्न नहीं करने की स्थिति में)	<userID>_UID_ Certificate.jpg
i.	आधार एवं भामाशाह पंजीकरण नहीं होने की स्थिति में छात्रवृति हेतु प्रमाण पत्र (परिशिष्ट स)	आधार एवं भामाशाह पंजीकरण नहीं होने की स्थिति में छात्रवृति हेतु प्रमाण पत्र (परिशिष्ट स)	UID_Certificate.jpg
j.	माता–पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (अनाथ बालिका–बालक, विधवा पुत्री–पुत्र के लिए)	-----	<userID>_Death_ Certificate.jpg
k.	विवाह प्रमाण पत्र (केवल विवाहित महिलाओं के लिए)	विवाह प्रमाण पत्र (केवल विवाहित महिलाओं के लिए)	<userID>_Marriage_Certificate.jpg
अन्य पिछडा वर्ग (OBC) एवं आर्थिक पिछडा वर्ग (EBC) के विद्यार्थियों के लिए उपरोक्त दस्तावेज के अतिरिक्त निम्नलिखित दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे।			
l.	बी.पी.एल. / अन्त्योदय / राज्य बी.पी.एल कार्ड (बी.पी.एल., अन्त्योदय एवं स्टेट बी.पी.एल. परिवार के विद्यार्थी के लिए)	-----	<userID>_BPL_Cartificate.jpg
m.	माता / पिता / पति का मृत्यु प्रमाण पत्र(अनाथ, स्वयं विधवा, विधवा के पुत्री / पुत्र के लिए)	-----	<userID>_Death_Certificate.jpg
n.	तलाकशुदा महिला हेतु न्यायालय का आदेश (तलाकशुदा महिला स्वयं एवं तलाकशुदा महिला के पुत्री / पुत्र के लिए)	-----	<userID>_Court_Order.jpg
o.	विशेष योग्यजन का प्रमाण पत्र (विशेष योग्यजन स्वयं एवं विशेष योग्यजन की पुत्री / पुत्र के लिए)	-----	<userID>_Disability_Certificate.jpg

Note - In case of General Category student applies for **EBC** Scholarship "**Caste Certificate is not required**".

PRINCIPAL
A.S.M.I.E..ASIND

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

Scanned by CamScanner

13. विद्यार्थी द्वारा शैक्षणिक संस्थान को दी गई फीस की मदों का पूर्ण विवरण छात्रवृति पोर्टल पर उपलब्ध करवाना होगा। फीस की मदों का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में केवल अनुरक्षण भत्ता ही देय होगा। अन्य देय फीसों का पुनर्भरण संभव नहीं होगा। अतः मुख्य रूप से निम्नलिखित फीस की मदों का ऑनलाईन विवरण उपलब्ध करवाना होगा :–

a- पंजीकरण (Registration)
b- नामांकन शुल्क (Enrolment Fee)
c- शिक्षण शुल्क (Tuition Fee)
d- खेल कूद शुल्क (Games Fee)
e- संगठन (यूनियन) शुल्क (Union Fee)
f- पुस्तकालय शुल्क (Library Fee)
g- पत्रिका शुल्क (Magazine Fee)
h- परीक्षा शुल्क (Examination Fee)

14. विद्यार्थी को शैक्षणिक संस्थान एवं पाठ्यक्रम का चयन सावधानी पूर्वक करना होगा। किसी प्रकार की गलती की सम्भावना को समाप्त करने के लिए विद्यार्थी द्वारा शैक्षणिक संस्थान एवं पाठ्यक्रम की प्रविष्टि दो बार करनी होगी एवं दोनों बार समान प्रविष्टि होने के उपरान्त ही आवेदन Submit किया जा सकेगा। इसके उपरान्त भी यदि विद्यार्थी द्वारा गलत शैक्षणिक संस्थान अथवा पाठ्यक्रम का चयन किया जाता है एवं इस आधार पर आवेदन स्थाई रूप से निरस्त हो जाता है तो इसके लिए विद्यार्थी स्वंय जिम्मेदार होगा।

15. विद्यार्थी प्रत्येक जानकारी को दो बार जांच करने के उपरान्त ही आवेदन लॉक करें क्योंकि लॉक करने से पूर्व आवेदन में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है परन्तु आवेदन पत्र ऑनलाईन लॉक किये जाने के उपरान्त उसमें संशोधन करना संभव नही हो सकेगा।

16. विद्यार्थी जिस पाठ्यक्रम में अध्ययनरत है वह पाठ्यक्रम ऑनलाईन आवेदन करते समय शैक्षणिक संस्थान द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों की सूची में उपलब्ध नहीं होता है तो पोर्टल पर एक लिंक उपलब्ध होगा जिस पर क्लिक करने के उपरान्त एक फार्म उपलब्ध होगा जिसके द्वारा विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम का विवरण उपलब्ध करवाएगा। यह फार्म संबंधित शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन ही अग्रेषित कर दिया जाएगा। इसके पश्चात् शैक्षणिक संस्थान द्वारा यदि उक्त पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है तो उसकी मान्यता/सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही संबंधित विश्वविद्यालय के स्तर से करवाई जानी होगी, ताकि विद्यार्थी अपना आवेदन Submit कर सके। यदि शैक्षणिक संस्थान द्वारा ऐसे पाठ्यक्रम का संचालन नहीं किया जा रहा है तो ऐसे विद्यार्थी के आवेदन को शैक्षणिक संस्थान द्वारा निरस्त किया जाएगा।

17. विद्यार्थी को आक्षेप की पूर्ति के लिए भी अधिकतम <u>सात दिन</u> का समय प्रदान किया जाएगा। यदि विद्यार्थी सात दिन में आक्षेप की पूर्ति नहीं करता है तो ऐसा ऑनलाईन आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। यदि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु पोर्टल खुला है तो विद्यार्थी को पुनः पंजीकरण कर अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा अन्यथा नहीं।

18. सेमेस्टर/ट्राईमेस्टर आधार पर संचालित किए जा रहे पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा प्रत्येक सेमेस्टर/ट्राईमेस्टर के लिए शैक्षणिक संस्थान में अलग–अलग (सेमेस्टर/ट्राईमेस्टर वाइज) फीस जमा करवाने की स्थिति में अधिकतम निर्धारित फीस सीमा तक देय राशि पुनर्भरण करवाने हेतु ऑनलाईन पोर्टल पर लॉगइन कर, अपनी फीस

PRINCIPAL
A.S.M.I.E..ASIND

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

Scanned by CamScanner

का ऑनलाईन विवरण अंकित कर, फीस की रसीद स्कैन कर अपलोड कर, विद्यार्थी द्वारा एक से अधिक बार ऑनलाईन आवेदन करना होगा।

उदाहरणार्थ यदि किसी पाठ्यक्रम की कुल वार्षिक देय अधिकतम फीस की राशि रुपये 50,000 है, एवं यदि विद्यार्थी ने प्रथम सेमेस्टर में रुपये 35,000 का दावा प्रस्तुत किया है एवं द्वितीय सेमेस्टर में भी रुपये 35000 का दावा प्रस्तुत किया है तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी को प्रथम सेमेस्टर के लिए रुपये 35000 एवं द्वितीय सेमेस्टर के लिए रुपये 15,000 ही स्वीकृत किए जाएगें। सेमेस्टर/ ट्राईमेस्टर के आधार पर फीस का निर्धारण नहीं किया जाएगा। यह गणना पोर्टल द्वारा पूर्व निर्धारित फीस स्ट्रक्चर के अनुरूप स्वतः ही की जाएगी।

19. *राज्य के बाहर की राजकीय, निजी, स्वायत्तशाषी मान्यता प्राप्त, राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आवेदन पत्र, विद्यार्थी जिस जिले का मूल निवासी है, अथार्त गृह जिले के स्वीकृतकर्ता अधिकारी (जिलाधिकारी, सान्याअवि) को ऑनलाईन फारवर्ड किए जाऐगें। अतः विद्यार्थी अपने मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को ऑनलाईन आवेदन पत्र फारवर्ड करने एवं आवेदन पत्रों की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्थान की सील लगाने के उपरान्त निर्धारित समयासीमा मे स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत करने हेतु संबंधित शिक्षण संस्थान को सूचित करावें।*

20. विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र Submit करने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।
    - (i) उपरोक्त ऑनलाईन आवेदन में मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
    - (ii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन्ड कर अपलोड की गई प्रतियां सही हैं एवं किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
    - (iii) मैं यह बात अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि मेरे द्वारा दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या मैंने सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है तो सरकार आईपीसी के धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत मेरे विरूद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए विभाग पूर्णतः स्वतन्त्र है। मैं यह भी जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने ऐसे कृत्य के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

    विद्यार्थी को उपरोक्त बिन्दुओं से सहमत होते हुए Submit का बटन दबाना होगा।

21. विद्यार्थी द्वारा कोई मिथ्यापूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाए जाने पर आवेदन को स्थाई रूप से निरस्त कर दिया जावेगा जिसे किसी भी स्तर पर पुनः प्रक्रिया में नहीं लिया जा सकेगा। ऐसे विद्यार्थियों को विभाग की ओर से मिलने वाली छात्रवृति के लिए स्थाई रूप से डी–बार एवं ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। साथ ही उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहित की धारा 177, 197, 198, 199, 200, 420 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जा सकेगा।

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

PRINCIPAL
A.S.M.I.E..ASIND

Scanned by CamScanner

22. विद्यार्थी को यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड के माध्यम से छात्रवृति पोर्टल पर आवेदन की अद्यतन स्थिति ऑनलाईन प्राप्त करने की सुविधा छात्रवृति पोर्टल पर उपलब्ध होगी। आवेदन की अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को संबंधित शैक्षणिक संस्थान/जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में सम्पर्क करने की आवश्यकता नही है।

xviii. **शैक्षणिक संस्थाओं को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया :**

1. वर्ष 2015-16 से उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया Paper Less होने के कारण शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा आवेदन पत्रों की जांच करने के लिए विद्यार्थी द्वारा आवेदन पत्र की हार्डकॉपी/मूल प्रति मय अनुसंलग्नक विद्यार्थी द्वारा Submit नहीं किए जाऐंगे।
2. शैक्षणिक सत्र 2015-16 से सभी प्रकार के शिक्षण संस्थाओं अर्थात राजकीय, स्वायत्तशाषी, निजी मान्यता प्राप्त, राष्ट्रीय स्तर की सूचीबद्व शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के ऑन लाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की स्वीकृति संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा ही जारी की जावेगी। **राजकीय संस्थाओं द्वारा किसी प्रकार की स्वीकृति जारी नहीं की जावेगी।** भविष्य में इन्हे विभाग द्वारा इस हेतु किसी प्रकार का बजट उपलब्ध नहीं करवाया जावेगा। वर्तमान में प्रदत्त बजट केवल 2014-15 तक प्राप्त आवेदन पत्रों की स्वीकृति जारी कर संबंधित विद्यार्थियों के बैंक खातों में माध्यम से राशि जमा करवाने के लिए ही उपलब्ध करवाया गया है।
3. सेमेस्टर/ट्राईमेस्टर आधार पर संचालित किए जा रहे पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा प्रत्येक सेमेस्टर/ट्राईमेस्टर के लिए शैक्षणिक संस्थान में अलग-अलग (सेमेस्टर/ट्राईमेस्टर वाइज) फीस जमा करवाने की स्थिति में अधिकतम निर्धारित फीस सीमा तक देय राशि पुनर्भरण करवाने हेतु ऑनलाईन पोर्टल पर लॉगइन कर अपनी फीस का ऑनलाईन विवरण अंकित कर, फीस की रसीद स्कैन कर अपलोड कर विद्यार्थी द्वारा एक से अधिक बार ऑनलाईन आवेदन करने की स्थिति में शिक्षण संस्था द्वारा विद्यार्थी को एक शैक्षणिक वर्ष में संबंधित पाठ्यक्रम के लिए कुल निर्धारित देय राशि की सीमा तक एक से अधिक बार स्वीकृतकर्त्ता अधिकारी को ऑनलाईन फारवर्ड करना होगा।
4. सभी शैक्षणिक संस्थाओं के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जाच की जानी आवश्यक होगी।
5. सभी शैक्षणिक संस्थाओं को प्राप्त आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने की दिनाक एवं समय के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में प्रदर्शित होंगे। जिनकी एक-एक कर उनके द्वारा जांच की जा सकेगी। सर्व प्रथम ऑनलाईन प्राप्त आवेदन की जांच करने के उपरान्त उसे अस्वीकृत/स्वीकृति योग्य अथवा आक्षेपित किए जाने के उपरान्त ही द्वितीय नम्बर पर प्राप्त आवेदन पत्र संस्थान को दिखाई देगा।
6. शैक्षणिक संस्थान द्वारा आवेदन पत्रों की जांच करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं को गहनता से जांच करते हुए छात्रवृति पोर्टल पर उपलब्ध वांछित स्थान पर Yes/No का Radio Button में से किसी एक का चयन करना होगा। यदि किसी बिन्दु के सामने No Radio Button का चयन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदन आक्षेपित की श्रेणी में चला जाएगा, एवं संबंधित विद्यार्थी द्वारा आक्षेप की पूर्ति करने के उपरान्त ही उस पर शैक्षणिक संस्थान द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

PRINCIPAL
A.S.M.I.E..ASIND

Scanned by CamScanner

7. विद्यार्थी के द्वारा आवेदन पत्र के साथ स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की गहनता से जांच कर दस्तावेजों के आधार पर बिन्दुओं पर Yes/No अंकित करना होगा। जांच के विस्तृत बिन्दु परिशिष्ट–"ब" पर संलग्न है। जांच के विस्तृत बिन्दु परिशिष्ट–"ब" पर संलग्न है।
8. शैक्षणिक संस्थाओ को प्राप्त होने वाले समस्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की 10 दिवस में जांच कर अपात्र आवेदन पत्रों को अस्वीकृत, अपूर्ण आवेदन पत्रों को आक्षेपित एवं छात्रवृति के पात्र आवेदन पत्रो को स्वीकृति हेतु स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाईन फारवर्ड किया जायेगा।
9. यदि शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर 10 दिवस में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो ऐसे सभी आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त हो जाऐंगे एवं उन पर "Not Timely Processed by Institute" आक्षेप अंकित हो जाएगा, जो कि विद्यार्थी को एस.एम.एस. एवं ई–मेल के माध्यम से भी प्रदर्शित होगा। निरस्त होने की स्थिति में, यदि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु छात्रवृति पोर्टल खुला है तो विद्यार्थी पुनः पंजीकरण कर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, अन्यथा नहीं।
10. शैक्षणिक संस्थाओं को प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त श्रेणी वार अधिकतम 25–25 विद्यार्थियों का प्रस्ताव तैयार होगा, नूतन एवं नवीनीकरण के प्रकरणों के प्रस्ताव पृथक–पृथक तैयार किए जाएगें।
11. यदि किसी संस्थान में विद्यार्थियों की संख्या श्रेणीवार 25 से कम होती है तो ऐसे संस्थानों का 25 से कम विद्यार्थियों का प्रस्ताव ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथी के उपरान्त ही तैयार हो सकेगा। परन्तु शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्राप्त आवेदनों की जांच की कार्यवाही निर्धारित समय सीमा (10 दिवस) में करनी आवश्यक होगी। अन्यथा आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त हो जाऐंगे एवं उन पर "Not Timely Processed by Institute" आक्षेप अंकित हो जाएगा।
12. स्वीकृति योग्य आवेदन पत्रों के 25–25 के प्रस्ताव Digital Signature (DSC) के माध्यम से ऑन लाईन स्वीकृतिकर्ता को अग्रेषित किया जाना होगा। साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्थान की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा।
13. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र छात्रवृति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्थान की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।
    i. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाईन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
    ii. ऑनलाईन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन्ड कर अपलोड की गई प्रतियां सही हैं एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

PRINCIPAL
A.S.M.I.E..ASIND

Scanned by CamScanner

iii. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हू कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये है तो सरकार आईपीसी के धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरूद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए विभाग पूर्णतः स्वतन्त्र है। मैं यह भी जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त बिन्दुओं से सहमत होते हुए ऑनलाइन Forword का बटन दबाना होगा। तथा उपरोक्तानुसार छात्रवृति स्वीकृति हेतु छात्रवृति स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय को प्रेषित मूल प्रस्ताव की सूची के नीचे i से iii अंकित कर, शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्थान की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा।

14. स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के कार्यालय में ऑनलाईन अग्रेषित करने के उपरान्त मूल प्रस्ताव प्रस्तुंत करने पर स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के कार्यालय द्वारा पावती प्रदान की जाएगी जिसे शैक्षणिक संस्थान अपने रिकार्ड में संधारित करेगी।
15. शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा आवेदन पत्र स्वीकृतिकर्ता अधिकारी को अग्रेषित करते समय Digital Signature की आवश्यकता होगी। इसके अभाव में वे आवेदन पत्र अग्रेषित नहीं कर सकेंगे। अतः सभी शैक्षणिक संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे समय रहते अपने संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी के Digital Signature बनवा लेवें।
16. विद्यार्थी को आक्षेप की पूर्ति के लिए भी अधिकतम <u>सात दिन</u> समय प्रदान किया जाएगा। यदि विद्यार्थी सात दिन में आक्षेप की पूर्ति नहीं करता है तो ऐसा आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। यदि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु पोर्टल खुला है तो विद्यार्थी को पुनः पंजीकरण कर अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा अन्यथा नही। इस संबंध में संस्थान द्वारा विद्यार्थी को पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवानी होगी।

xix. <u>जिला कार्यालय द्वारा आवेदन पत्रों के निरतारण/स्वीकृति की प्रक्रिया</u> :

1. शैक्षणिक सत्र 2015–16 से सभी प्रकार के शिक्षण संस्थाओं अर्थात *<u>राज्य एवं राज्य के बाहर के</u>* राजकीय, स्वायत्तशाषी, निजी मान्यता प्राप्त, राष्ट्रीय स्तर की सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के ऑन लाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की स्वीकृति संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा ही जारी की जावेगी। <u>राजकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा किसी प्रकार की स्वीकृति जारी नहीं की जावेगी</u>।
2. वर्ष 2015–16 से उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया Paper Less होने के कारण शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा आवेदन पत्रों की हार्डकॉपी/मूल प्रति मय अनुसंलग्नक विभागीय जिलाधिकारियों को स्वीकृति हेतु अग्रेषित नहीं किए जाऐंगे।

PRINCIPAL
A.S.M.I.E..ASIND

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

Scanned by CamScanner

3. वर्ष 2015–16 से राजकीय, निजी, स्वायत्तशाषी मान्यता प्राप्त, राष्ट्रीय स्तर की सूचीबद्ध सभी शिक्षण संस्थाओं द्वारा 25–25 की संख्या में अग्रेषित ऑनलाईन आवेदन पत्रों के प्रस्तावों की जांच कर नियमानुसार स्वीकृति / अस्वीकृति / आक्षेप संबंधी कार्य विभागीय जिलाधिकारियों द्वारा किया जावेगा।
4. राजकीय, निजी, स्वायत्तशाषी मान्यता प्राप्त, राष्ट्रीय स्तर की सूचीबद्ध सभी शिक्षण संस्थाओं द्वारा अग्रेषित ऑनलाईन आवेदन पत्रों के प्रस्तावों के साथ–साथ शैक्षणिक संस्थान के संस्था प्रधान अथवा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं सीलशुदा प्रस्तावों की प्रति विभागीय जिलाधिकारियों को प्राप्त होगी।
5. जिला कार्यालय द्वारा शैक्षणिक संस्थान से मूल प्रस्ताव व्यक्तिशः अथवा डाक से प्राप्त होने के उपरान्त System Generated पावती जारी की जाएगी, जिस पर प्रस्ताव की प्राप्ति का दिनांक एवं समय अंकित होगा, तद्नुसार प्रस्ताव के तहत प्राप्त आवेदनों पर उनके निस्तारण की कार्यवाही करने की प्राथमिकता तय की जाएगी।
6. राजकीय, निजी, स्वायत्तशाषी मान्यता प्राप्त, राष्ट्रीय स्तर की सूचीबद्ध सभी शिक्षण संस्थाओं द्वारा अग्रेषित ऑनलाईन आवेदन पत्रों के प्रस्तावों के साथ–साथ शैक्षणिक संस्थान के संस्था प्रधान अथवा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं सीलशुदा प्राप्त प्रस्तावों की जांच कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु जिला स्तर पर दो स्तर के यूजर आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध होगें – एक लिपिकीय संवर्ग के लिए एवं दूसरा जिलाधिकारी के लिए। विभिन्न जिलों में आवश्यकतानुसार लिपिकीय संवर्ग के यूजर आईडी जारी करने के लिए विभागीय मुख्यावास का एडमिन अधिकृत होगा।
7. जिला कार्यालयों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अतिरिक्त अन्य सभी वर्ग के प्रस्तावों को जिला कार्यालय को शैक्षणिक संस्थान के संस्था प्रधान अथवा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं सीलशुदा प्रस्तावों की प्रति प्राप्त होने की तिथी के क्रम में जांचा जाकर प्राथमिकता के क्रम में निस्तारित किया जावेगा। अर्थात सर्वप्रथम प्राप्त प्रस्ताव की जांच सर्वप्रथम (FIFO - First In First Out) की जावेगी।
8. <u>आवेदन पत्रों में एक से अधिक बार स्वीकृति जारी करना : –</u> सेमेस्टर / ट्राईमेस्टर आधार पर संचालित किए जा रहे पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा प्रत्येक सेमेस्टर / ट्राईमेस्टर के लिए शैक्षणिक संस्थान में अलग–अलग (सेमेस्टर / ट्राईमेस्टर वाइज) फीस जमा करवाने की स्थिति में अधिकतम निर्धारित फीस सीमा तक देय राशि पुनर्भरण करवाने हेतु विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करने एवं शिक्षण संस्था द्वारा विद्यार्थी का ऑनलाईन आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाईन फारवर्ड करने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा जांच कर संबंधित वर्ष की अधिकतम फीस सीमा तक एक ही विद्यार्थी की अलग–अलग स्वीकृतियां जारी की जावेगी।

उदाहरणार्थ यदि किसी पाठ्यक्रम की कुल वार्षिक देय अधिकतम फीस की राशि रुपये 50,000 है, एवं यदि विद्यार्थी ने प्रथम सेमेस्टर में रुपये 25,000 का दावा प्रस्तुत किया है एवं द्वितीय सेमेस्टर में भी रुपये 15000 का दावा प्रस्तुत किया है तथा तृतीय सेमेस्टर में 10,000 का दावा किया है तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी को प्रथम सेमेस्टर के लिए रुपये 25000 एवं द्वितीय सेमेस्टर के लिए रुपये 15,000 तथा तृतीय सेमेस्टर के लिए 10,000 ही स्वीकृत किए जाएगें। सेमेस्टर/ ट्राईमेस्टर के आधार पर फीस का निर्धारण

PRINCIPAL
A.S.M.I.E..ASIND

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

Scanned by CamScanner

नहीं किया जाएगा वरन् पाठ्यक्रम के लिए विभाग द्वारा पूर्व में निर्धारित वार्षिक फीस स्ट्रक्चर के अनुरूप पोर्टल द्वारा स्वतः ही गणना की जाएगी।

9. जिला कार्यालय के छात्रवृति लिपिक एवं जिलाधिकारी के द्वारा पृथक–पृथक ऑनलाईन आवेदन पत्रों की निर्धारित संख्या में विस्तृत जांच की जाएगी। विस्तृत जांच के दौरान आवेदन पत्र के साथ ऑनलाईन अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर बिन्दुओं पर Yes/No अंकित करना होगा। जांच के विस्तृत बिन्दु परिशिष्ट "4" पर संलग्न है।

A. छात्रवृति लिपिक के स्तर पर निस्तारण/स्वीकृति हेतु जांच प्रक्रिया :

1. जिला कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा आवेदन पत्रों को जिला कार्यालय को शैक्षणिक संस्थान के संस्था प्रधान अथवा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं सीलशुदा प्रस्तावों की प्रति प्राप्त होने की तिथी के क्रम में जांचा जाएगा।
2. प्रस्तावों की जाच करते समय जिला कार्यालय के संबंधित लिपिक के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव में से 20 प्रतिशत (कुल 25 आवेदन पत्रों में से 5 आवेदन पत्रों) आवेदन पत्रों की कम्प्यूटर द्वारा रैण्डम आधार पर चयनित आवेदन पत्रों की जांच की जानी आवश्यक होगी।
3. यदि लिपिक को जांच के दौरान किसी भी आवेदन पर ज्ञात होता है कि शैक्षणिक संस्थान द्वारा आवेदन पत्रों की ठीक प्रकार से जांच नहीं की गई है तो वह ऐसे सम्पूर्ण प्रस्ताव को आक्षेपित कर सकेगा, ऐसा प्रस्ताव पुनः शैक्षणिक संस्थान के खाते में चला जाएगा तथा पूर्व में तैयार प्रस्ताव ब्रेक हो जाएगा।
4. आक्षेपित प्रस्ताव को संस्थान को लौटाए जाने की स्थिति में जिस विद्यार्थी विशेष के कारण पूरे प्रस्ताव को आक्षेपित किया गया है ऐसे विद्यार्थी के आवेदन को शैक्षणिक संस्थान में उस दिनांक तक प्राप्त आवेदनों के क्रम में सबसे अन्त में जोड़ा जाएगा एवं शेष आवेदन पत्रों को उन पर अंकित Time Stamp (आवेदन के दिनांक एवं समय) के अनुसार क्रम पर रखा जाएगा। ऐसे सभी आवेदनों की शैक्षणिक संस्थान के स्तर पर पुनः जांच के उपरान्त नए सिरे से प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के कार्यालय को अग्रेषित किया जाएगा जो तदनुसार प्राप्त प्राथमिकता के क्रम में ही जिला अधिकारी अथवा छात्रवृति निस्तारण हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निस्तारित किया जाएगा।

B. जिलाधिकारी के स्तर पर निस्तारण/स्वीकृति हेतु जांच प्रक्रिया :

1. छात्रवृति लिपिक द्वारा अनुशंषा करने पर सभी जिलों के विभागीय जिलाधिकारी राजकीय एवं निजी शैक्षणिक संस्थाओं के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की स्वीकृति जारी की जावेगी।
2. जिला कार्यालयों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के अतिरिक्त अन्य सभी वर्ग के प्रस्तावों को जिला कार्यालय को शैक्षणिक संस्थान के संस्था प्रधान अथवा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं सीलशुदा प्रस्तावों की प्रति प्राप्त होने की तिथी के क्रम में लिपिक द्वारा जांचा जाकर प्राथमिकता के क्रम में निस्तारित किया जावेगा। अर्थात सर्वप्रथम

PRINCIPAL
A.S.M.I.E. ASIND

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

Scanned by CamScanner

प्राप्त प्रस्ताव की जाच सर्वप्रथम (FIFO - First In First Out) की जावेगी तथा लिपिक द्वारा जांचने के क्रम में ही जिलाधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जायेगा।

3. विभागीय जिला कार्यालयों में केवल शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा ऑनलाईन अग्रेषित करने के उपरान्त पोर्टल द्वारा तैयार प्रस्ताव की सूची शैक्षणिक संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं सील अंकित किए जाने के उपरान्त प्राप्त होगी। तत्पश्चात संबंधित लिपिक द्वारा जांच करने के उपरान्त जिलाधिकारी के लॉगइन पर अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध होगी। जिलाधिकारी को लॉगइन के अपने Digital Signature का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होगा।

4. ऑनलाईन प्राप्त प्रस्तावों की जांच करते समय जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त प्रस्ताव में से कम्प्यूटर द्वारा रैण्डम आधार पर चयनित आवेदन पत्रों में से न्यूनतम 1 एवं अधिकतम 3 आवेदन पत्रों की अनिवार्य रूप से जांच की जानी होगी। यदि जिलाधिकारी को जांच के दौरान किसी भी आवेदन पर ज्ञात होता है कि शैक्षणिक संस्थान द्वारा आवेदन पत्रों की ठीक प्रकार से जांच नहीं की गई है तो वह ऐसे सम्पूर्ण प्रस्ताव को आक्षेपित कर सकेगा, ऐसा प्रस्ताव पुनः शैक्षणिक संस्थान के खाते में चला जाएगा।

5. जिलाधिकारी द्वारा आक्षेप अंकित करने के उपरान्त शिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित समयावधि (10 दिवस) में आक्षेप पूर्ति कर नया प्रस्ताव बना कर प्रेषित नहीं करने की स्थिति में आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त हो जाएगा एवं उन पर "Not Timely Re-submit by Institute" आक्षेप अंकित हो जाएगा, जो कि विद्यार्थी को एस.एम.एस. एवं ई-मेल के माध्यम से भी प्रदर्शित होगा।

6. अन्य पिछडा वर्ग एवं आर्थिक पिछडा वर्ग के आवेदन पत्रों का दिशा-निर्देशों के बिन्दु संख्या iii में निर्धारित प्राथमिकताओं के क्रम में निस्तारण किया जाएगा।

7. **मुख्यमंत्री सर्वजन** उच्च **शिक्षा** छात्रवृत्ति योजना के तहत प्राप्त आवेदनों हेतु विद्यार्थी द्वारा इन शैक्षणिक संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों का चयन करने पर उन पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित फीस की 50 प्रतिशत राशि की स्वीकृति जारी की जावेगी।

8. विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु (DNTs) श्रेणी के सभी विद्यार्थी को केवल अनुरक्षण भत्ते की स्वीकृति जारी की जावेगी। इस योजनान्तर्गत शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क की राशि देय नहीं है।

9. पत्राचार माध्यम से अध्ययन करवाने वाले विश्वविद्यालयों विशेष रूप से – इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एवं वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय– में अध्ययनरत विद्यार्थियों को केवल नियमानुसार देय शिक्षण शुल्क की स्वीकृति जारी की जावेगी, अनुरक्षण भत्ता मद में किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है।

10. जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव की जांच करने के उपरान्त यदि वह पूर्ण प्रस्ताव स्वीकृति योग्य पाया जाता है तो अपने Digital Signature का प्रयोग करते हुए स्वीकृति जारी करनी होगी।

11. जिला अधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी करने के उपरान्त उसे निरस्त नहीं किया जा सकेगा।

XX. <u>स्वीकृतशुदा आवेदन पत्रों के भुगतान की प्रक्रिया</u> :

1. **जिलाधिकारी** द्वारा जारी की गई सभी स्वीकृतियों का डाटा वैब-सर्विस के माध्यम से **पै-मैनेजर पोर्टल** पर उपलब्ध हो जाएगा। जिसके आधार पर जिलाधिकारी कार्यालय के **संबंधित कार्मिकों द्वारा बिल बनाने की कार्यवाही निष्पादित की जाएगी।**

PRINCIPAL
A.S.M.I.E..ASIND

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

Scanned by CamScanner

2. बिल बनाने का कार्य भी स्वीकृति जारी किए जाने की दिनांक एवं समय के अनुसार क्रमवार (FIFO - First In First Out) किया जाएगा तथा इसी क्रम में बिल संबंधित कोषागार को प्रेषित किए जाऐंगे।
3. योजनावार बजट की आवश्यकता की गणना सम्बन्धी रिपोर्ट पोर्टल पर उपलब्ध होगी, तदनुसार आवश्यकतानुसार जिला कार्यालयों को बजट आवंटित किया जाएगा।
4. बिल बनने की स्थिति की जानकारी RAJPMS पोर्टल पर अपडेट होगी, एवं विद्यार्थी अपनी प्रोफाइल में भी इसकी जानकारी देख सकेगा।
5. कोषागार द्वारा बिल पारित होने के उपरान्त छात्रवृत्ति की स्वीकृत राशि बैंक द्वारा विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा की जावेगी। इसकी जानकारी भी RAJPMS पोर्टल पर अपडेट होगी, एवं विद्यार्थी अपनी प्रोफाइल में भी इसकी जानकारी देख सकेगा।
6. यदि किसी कारण से कोषागार द्वारा पारित राशि का भुगतान बैंक द्वारा विद्यार्थी के खाते में नहीं जमा नहीं हो पाता है तो इसकी जानकारी भी RAJPMS पोर्टल पर अपडेट होगी। विद्यार्थी के खाते में राशि जमा नहीं होने के कारणों का उल्लेख होगा। विद्यार्थी अपनी प्रोफाइल में भी इसकी जानकारी देख सकेगा।

xxi. <u>शिक्षण संस्थाओं एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारियों के निर्णय के विरूद्व अपील :</u>

वर्ष 2015-16 से ऑनलाईन प्राप्त प्रकरणों में शिक्षण संस्थाओं एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारियों के निर्णय के विरूद्व ऑनलाईन अपील की जा सकेगी। विद्यार्थी द्वारा वर्ष 2015-16 से पेपरलेस ऑनलाईन प्राप्त प्रकरणों की ही अपील की जा सकेगी, इससे पूर्व के वर्षो की नहीं। अपील दर्ज कराने हेतु विद्यार्थी को अपना नाम, आवेदन क्रमांक (Application ID), आवेदन का वर्ष एवं अपनी शिकायत का विवरण ऑनलाईन अंकित करना होगा। प्राप्त प्रकरणों का एक यूनिक क्रमांक जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर दर्ज प्रकरणों का प्राथमिकतानुसार निस्तारण किया जाएगा तथा दर्ज प्रकरण की नवीनतम स्थिति की जानकारी विद्यार्थी को ऑनलाईन प्राप्त हो सकेगी। ऐसे आक्षेप/अपील प्रभारी अधिकारी, छात्रवृत्ति को अग्रेषित हो जावेंगी एवं उनके स्तर पर इन पर यथोचित निर्णय लेकर प्रकरणों का निष्पादन किया जावेगा। प्राप्त सभी प्रकरणों का पोर्टल पर डाटा संधारित किया जाएगा ताकि प्राप्त प्रकरणों की उचित स्तर पर मॉनीटरिंग की जा सके।

a. <u>प्रथम ऑनलाईन अपील</u> – वर्ष 2015-16 से यदि शैक्षणिक संस्थान/स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा किसी विद्यार्थी के आवेदन को स्थाई रूप से निरस्त कर दिया जाता है अथवा अन्य कोई आपत्ति है तो विद्यार्थी द्वारा निर्णय के विरूद्व प्रथम अपील <u>आवेदन निरस्त होने के 30 दिवस की निर्धारित समयावधि में</u> अपील पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रभारी अथवा नोडल अधिकारी को दर्ज करवाई जा सकेगी। इस हेतु एक पृथक वैबपेज उपलब्ध होगा।

b. <u>द्वितीय अपील</u> – प्रथम अपीलीय अधिकारी प्रभारी अधिकारी/नोडल अधिकारी (छात्रवृति) द्वारा निर्णित निर्णय से असन्तुष्ट होने की स्थिति में विद्यार्थी <u>प्रथम अपील निरस्त होने के दिवस से 30 दिवस की निर्धारित समयावधि में द्वितीय अपील व्यक्तिशः</u> अथवा डाक द्वारा निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को कर सकता है। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त प्रकरणों पर विचार नहीं किया जाएगा। द्वितीय अपील पर निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

PRINCIPAL
A.S.M.I.E..ASIND

Scanned by CamScanner

xxii. प्रचार–प्रसार :

उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु योजनाओं के दिशा–निर्देश, नीतिगत निर्देशों एवं तकनीकी बिन्दुओं की जानकारी हेतु बुकलेट, पम्पलेट, फोल्डर आदि प्रिन्ट करवाकर संबंधित कार्मिकों, शिक्षण संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों, नगरीय एवं पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध करवाया जाकर योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रचार किया जायेगा।

xxiii. प्रशिक्षण :

उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार 3 स्तरों पर प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की जावेगी :

i. निदेशालय स्तर : उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में आने वाली नीतिगत निर्देशों एवं तकनीकी कठिनाईयों के निराकरण हेतु निदेशालय स्तर पर आवश्यकतानुसार निदेशालय, जिला कार्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों एवं संबंधित कार्मिकों को आमुखीकरण, कार्यशाला, विडियों कान्फ्रेन्स आदि आयोजित किया जाकर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा ऑन लाईन पोर्टल पर आ रही समस्याओं का यथासमय निराकरण किया जायेगा।

ii. जिला मुख्यालय स्तर : उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में आने वाली नीतिगत निर्देशों एवं तकनीकी कठिनाईयों के निराकरण हेतु जिला स्तर पर आवश्यकतानुसार जिला कार्यालयों में कार्यरत लेखाकार /कनिष्ठ लेखाकार, सूचना सहायक, छात्रवृति लिपिक को ऑनलाईन आवेदन की जांच, ऑनलाईन स्वीकृति एवं ऑनलाईन बिल बनाने की प्रक्रिया तथा शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों एवं संबंधित कार्मिकों को छात्रवृति नियमों एवं पोर्टल संबंधी तकनीकी जानकारी प्रदान कर ऑनलाईन पोर्टल पर आ रही समस्याओं का यथासमय निराकरण किया जायेगा।

iii. शिक्षण संस्था स्तर : उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में आने वाली नीतिगत निर्देशों एवं तकनीकी कठिनाईयों के निराकरण हेतु शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवश्यकतानुसार शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत संबंधित कार्मिकों एवं विद्यार्थियों को छात्रवृति नियमों, शिक्षण संस्थान का फीस स्ट्रेक्चर, ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरे जाने वाले फीसों का विवरण, आवेदन करने हेतु ऑनलाईन पंजीकरण करने हेतु वांछित दस्तावेज, पोर्टल की ऑनलाईन प्रक्रिया एवं पोर्टल संबंधी तकनीकी जानकारी प्रदान की जायेगी।

xxiv. **कठिनाईयों के निवारण की प्रक्रिया :**

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के नीतिगत निर्देशों की अस्पष्टता के कारण आने वाली कठिनाईयों एवं ऑनलाईन छात्रवृति पोर्टल rajpms.nic.in के संचालन में दिन प्रतिदिन आने वाली तकनीकी कठिनाईयों का निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा निस्तारण किया जाएगाः–

a. **यूजर मैन्युअल** – पोर्टल पर विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने हेतु पंजीकरण एवं लॉक करने की प्रक्रिया, विश्वविद्यालयों/ बोर्ड, शिक्षण संस्थाओं संबंधी प्रक्रिया, जिला कार्यालयों द्वारा स्वीकृति हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया का विस्तृत यूजर मैनुअल तैयार कर पोर्टल पर उपलब्ध करवाया जाएगा।

PRINCIPAL
A.S.M.I.E..ASIND

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

Scanned by CamScanner

b. <u>समस्या समाधान हेतु टिकट पोर्टल</u> (Ticket Portal) : वर्ष 2015–16 से छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिकायत/समस्या दर्ज करने के लिए एक वेबपेज उपलब्ध होगा जिस पर कोई भी विद्यार्थी, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का प्रतिनिधि अपना नाम, ई–मेल आईडी, मोबाईल नम्बर अंकित करते हुए अपनी वर्ष 2015–16 एवं आगामी वर्षों से संबंधित समस्या का विस्तृत उल्लेख कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकेगें। प्राप्त प्रकरणों का एक यूनिक क्रमांक जारी किया जाएगा, ताकि आवेदक द्वारा उसके आधार पर दर्ज प्रकरण की नवीनतम स्थिति की जानकारी ऑनलाईन प्राप्त की जा सके। इस प्रकार प्राप्त सभी शिकायतों को विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच करने के उपरान्त यथोचित उत्तर आवेदक को ऑनलाईन प्रेषित किया जाएगा। आवश्यकता होने पर प्राप्त प्रकरणों को एन.आई.सी., मध्य प्रदेश को भी अग्रेषित किया जा सकेगा। ताकि प्राप्त प्रकरणों का निराकरण हो सके। प्राप्त सभी प्रकरणों का पोर्टल पर डाटा संधारित किया जाएगा ताकि प्राप्त प्रकरणों की उचित स्तर पर मॉनिटरिंग की जा सके।

<u>हेल्प डेस्क – जिला कार्यालय, शिक्षण संस्थाओं एवं</u> विद्यार्थियों की नीतिगत एवं तकनीकी के निराकरण हेतु निदेशालय, जिला कार्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवश्यकतानुसार अलग–अलग हैल्प डेस्क का गठन किया जाएगा।

i. पोर्टल की प्रक्रिया के सम्बन्ध मे जानकारी प्रदान करने के हैल्पडेस्क के सम्बन्ध में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा संचालित Citizen Contact Centre (CCC) का उपयोग किया जा सकता है। उक्त कॉल सेन्टर के लिए उपलब्ध टोल फ्री नम्बर को पोर्टल पर प्रदर्शित करना होगा। साथ ही विभाग द्वारा इस हेतु सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को FAQ उपलब्ध करवाना होगा।

ii. विभागीय मुख्यालय पर भी एक हैल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा। यह प्रातः 8.00 बजे से रात्री 8.00 बजे तक (दो शिफ्ट में) आवश्यकतानुसार संचालित किया जावेगा। इस हैल्प डेस्क पर कम से कम चार कार्मिक – दो सूचना सहायक एवं दो लिपिक संवर्ग के – कार्य करेगें। प्रत्येक शिफ्ट में एक सूचना सहायक एवं एक लिपिक कार्यरत रहेगें।

iii. जिला स्तर पर के विभागीय जिला कार्यालयों में भी हैल्प डेस्क, कार्य दिवसों में कार्यालय समय में आवश्यकतानुसार संचालित होगा, जिस पर छात्रवृत्ति की जानकारी रखने वाले लिपिक/सूचना सहायक द्वारा वांछित जानकारी विद्यार्थियों एवं शैक्षणिक संस्थानों को प्रदान की जाएगी।

iv. शिक्षण संस्थान द्वारा भी अपने यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों को पोर्टल के माध्यम से आवेदन पत्र प्रेषित करने के लिए वांछित सहायता प्रदान करने के लिए हैल्प डेस्क स्वयं के स्तर पर स्थापित करवानी होगी। हेल्प डेस्क पर ऐसे कार्मिक को पदस्थापित किया जावे जो ऑनलाईन पोर्टल एवं छात्रवृत्ति के नियमों आदि के बारे में वांछित जानकारी रखता हो।

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

PRINCIPAL
A.S.M.I.E..ASIND

Scanned by CamScanner

xxv. **सामान्य अनुदेश : विद्यार्थी एवं शिक्षण संस्थाओं से अपेक्षायें :–**

1. शैक्षणिक सत्र 2015–16 से विद्यार्थियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, इसका उल्लेख यथा स्थान पर किया गया है, सभी विद्यार्थियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे समय सीमा का विशेष ध्यान रखें, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता देने का अधिकार किसी भी स्तर पर नहीं है।
2. विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर किसी प्रकार का आक्षेप अंकित होने अथवा निरस्त किए जाने की स्थिति में उन्हें पोर्टल पर उनके द्वारा प्रदत्त मोबाईल नम्बर पर एस.एम.एस. एवं ई–मेल के माध्यम से अवगत करवाया जाएगा।
3. यदि विद्यार्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में आक्षेप की पूर्ति नही की जाती है तथा संस्था द्वारा आक्षेप पूर्ति कर ऑनलाईन आवेदन पत्र, निर्धारित समयावधि में पुनः प्रेषित नहीं किया जाता है तो आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, जिसके लिए स्वयं विद्यार्थी एवं शिक्षण संस्थान जिम्मेदार होगें।
4. वर्ष 2015–16 से उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु ऑनलाईन आवेदन करना एक पेपरलेस प्रक्रिया है। अतः विद्यार्थी द्वारा कहीं से भी अपने आवेदन पत्र में अंकित आक्षेप की पूर्ति की जा सकेगी।
5. विद्यार्थियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि आवेदन पत्र ऑनलाईन पंजीकरण करने, लॉक करने, आक्षेपों की पूर्ति करने शिक्षण संस्थाओं द्वारा स्वीकृतकर्ता अधिकारियों को ऑनलाईन फारवर्ड करने एवं प्रस्तावों की सूची जिला कार्यालयों में प्रस्तुत करने, आक्षेपों की पूर्ति करने के लिए निर्धारित समयावधि का विशेष ध्यान रखा जावे। निर्धारित समयावधि में कार्यवाही पूर्ण नहीं करने की स्थिति में आवेदन पत्र निर्धारित समयावधि के उपरान्त स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे। उन्हें किसी भी स्तर पर पुनः प्रक्रिया में नहीं लिया जा सकेगा।
6. विद्यार्थियों एवं शिक्षण संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की स्थिति की जानकारी लेने के विभागीय जिला कार्यालयों अथवा मुख्यालय में अनावश्यक रूप से सम्पर्क ना करें, इस हेतु पोर्टल पर पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया है।

xxvi. **<u>दिशा–निर्देश का विनिर्णय</u>** :

इन दिशा–निर्देशों की व्याख्या निदेशक/आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जावेगी, वही अन्तिम एवं बाध्यकारी मानी जावेगी। किसी भी विवाद की स्थिति में प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का निर्णय अन्तिम होगा।

(सुदर्शन सेठी) 9.10.2015
प्रमुख शासन सचिव

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

PRINCIPAL
A.S.M.I.E..ASIND

Scanned by CamScanner

क्रमांक : एफ 9(4)(116) उ.मै.छात्र / पेपरलेस / दिशा–निर्देश / सान्याअवि / 2015–16 / 60902 – 61021 दिनांक 09/10/2015

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. संयुक्त सचिव (पीसी), माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
8. प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
9. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
11. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
12. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
13. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
14. प्रमुख शासन सचिव, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
15. प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर।
16. शासन सचिव, सूचना एवं संचार विभाग, राज. जयपुर।
17. महानिदेशक, हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
18. महानिदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
19. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
20. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
21. निदेशक, विशेष योग्यजन, राजस्थान, जयपुर।
22. निदेशक, बाल कल्याण, राजस्थान जयपुर।
23. निदेशक, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
24. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज. जयपुर।
25. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. राजस्थान / मध्यप्रदेश।
26. जिला कलक्टर समस्त.......................... ।
27. कोषाधिकारी समस्त.......................... ।
28. अतिरिक्त निदेशक (अ.जा.ज.जा.कल्याण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
29. वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
30. अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
31. उप विधि परामर्शी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
32. संयुक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
33. उप निदेशक (पि.जा.),सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
34. सहायक निदेशक (छात्रावास), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
35. सहायक निदेशक (शिक्षा),सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
36. सहायक निदेशक (प्रचार),सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज. जयपुर।
37. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर / प्रोग्रामर, मुख्यावास। को उपरोक्तानुसार छात्रवृति पोर्टल में संशोधन करवाने तथा उक्त समस्त को ई–मेल करवाने हेतु।
38. प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
39. प्रभारी अधिकारी .... प्रशाखा, मुख्यावास।
40. रक्षित पत्रावली।

9.10.2015

प्रमुख शासन सचिव

IQAC COORDINATOR
A.S.M.I.E..ASIND

PRINCIPAL
A.S.M.I.E..ASIND

Scanned by CamScanner